रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05







प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]नई दिल्ली, शनिवार, जून 14---जून 20, 2008 (ज्येष्ठ 24, 1930)No. 24]NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14---JUNE 20, 2008 (JYAISTHA 24, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III-SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

मुंबई, दिनांक 16 मई 2008

बैंपविवि. सं. बी.पी.डी./21.04.152/2007-08--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्धारा निदेश देते हैं कि 7 मई 2008 से उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाएगा।

''इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड'' शब्दों की जगह ''आईडीबीआई बैंक लिमिटेड'' शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।

> आनन्द सिन्हा कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400021, दिनांक 6 जून 2008

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड के लिए चार निदेशकों के चुनाव हेतु सोमवार दिनांक 23 जून 2008 को बैंक ऑडिटोरियम, भारतीय स्टेट बैंक, मादाम कामा रोड शाखा के पीछे, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में प्रात: 10.00 बजे आयोजित होने वाली शेयरधारकों की महासभा के लिए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमों के विनियम 21 (1) के अनुसार दिनांक 02 मई 2008 को जारी और भारत सरकार के 10 मई 2008 के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि चार नियमित रिक्त स्थानों के लिए वैद्य रूप से नामांकित प्रत्याशियों के नाम और पते निम्नलिखित हैं :--

- श्री नालम विश्वेश्वर राव घर क्र. 1.1.550/ए मुशीराबाद हैदराबाद-500020 आन्ध्र प्रदेश
- डॉ. अशोक झुनझुन्वाला सी-2/2, 5 थर्ड लूप रोड आई. आई. टी., मद्रास चेन्नई-600036
- श्री सुमन कुमार बेरी एन-42, पंचशिला पार्क नई दिल्ली-110017
- श्री अजय जी. पिरामल पेनिनसुला कारपोरेट पार्क 11वां तल, गणपतराव कदम मार्ग लोअर परेल, मुंबई-400013

श्री दिलीप सी. चोकसी ई-7, सी फेस पार्क 50, भूलाभाई देसाई रोड मुंबई-400026 श्री उमेश नाथ कपुर

- सी-564, सरिता विहार नई दिल्ली-110072
- श्री एस. वेंकटाचलम बिल्डिंग बी-1 फ्लैट 1-डी (प्रथम तल) हार्बर हाईट्स एन ए सावंत मार्ग, कोलाबा मुंबई-400005

एस. के. भट्टाचार्य प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी

Ŷ

J

1

ध्यान दें : यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहे, तो उन्हें इस आशय की लिखित सूचना प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण जोखिम अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मादाम कामा रोड, मुंबई को देनी चाहिए जो मतदान आरंभ होने से पूर्व उन्हें प्राप्त हो जाए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 2008

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एंव बैठकें) विनियम, 2008

पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मण्डल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 5) की धारा 19 ज्ञारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिर्ज़व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतदज्ञारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

अध्याय-1 प्रारंभिक

- i) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक सामान्य विनियम 2008 कहा जा सकेगा ।
 ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
- परिभाषाएँ:- इन विनियमों से, जब तक कि उनके विषय अथवा संदर्भ या तात्पर्य से कुछ भी प्रतिकृत न हो:-
 - (क) "अधिनियम" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1988 (1988 की 5) अभिप्रेत है।
 - (ख) "बैंक" से उक्ते अधिनियम की धारा 3 के अधीन मटित पंजाब एण्ड सिंध बैंक अभिप्रेत है ।
 - (ग) "मण्डल" से उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित निदेशक मण्डल अभिप्रेत है ।

(ध) "अध्यक्ष" से उक्त मण्डल का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(ड.) "समिति" से अभिग्रेत विनियम 2 क के अंतेंगत गटित समिति से है ।

r f (च) " कार्यपालक निदेशक" से पूर्णकालिक निदेशक किंतु प्रबंध निदेशक नहीं अभिप्रेत है।

- (छ) "महाप्रबंधक" से बैंक का महाप्रबंधक अभिप्रेत् है ।
- (ज) "प्रबंधन समिति" से उक्त योजना के खण्ड 13 के अधीन गठित समिति से अभिग्रेत है ।
- ्डा) "प्रबंध निदेशक" से बैंक का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ।

(27) "रजिस्टर" से बैंक की एक या उससे अधिक बहियों में रखा गया रेयरधारकों का रजिस्टर अभिप्रेत है और जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा (2 छ) के अधीन कम्प्यूटर फ्लापियों अथवा डिस्केटों में रखा गया रेयरधारकों का रजिस्टर शामिल है और डिपोजिटरी अधिनियम 1996 (1996 का 22) द्वारा रखे गए हिताधिकारी मालिक के रजिस्टर भी शामिल है ।

(2) "पंजीयक" से बैंक झारा निम्नलिखित के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिग्रेत है:-

- (i) किसी निगम के संबंध में निवेशकों से आवेदन-पत्र एकत्रित करना ।
- (ii) निवेशकों से प्राप्त आवेदनों एवं धनराशियों और प्रतिभूतियों के विक्रेताओं को भुगतान की गई धन राशियों का समुचित अभिलेख रखना ।
- (iii) बैंक को निम्नलिखित कार्य में सहायता करनाः

 (क) रोगर बाजार के परामर्श से प्रतिभूतियों के आबंटन के आधार का विनिश्चय करना ।

- (ख) प्रतिभूतियों के आबटन के पात्र व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप प्रदान करना ।
- (ग) उक्त निर्ममन से संबंधित आबंटन पत्रों, वापसी आदेशों अथवा प्रमाण पत्रों एवं अन्य संबंधित प्रलेखों की छानबीन और उनका प्रेषण।

(iv) बैंक झारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले ऐसे ही अन्य कार्य करना ।

- (ठ) " गोजना" से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) गोजना, 1970 अभिप्रेत है ।
 (ड.) "शेयर" से बैंक की शेयर पूंजी में शेयर अभिप्रेत है ।
- (द) "शेयर अंतरण अभिकर्ता" में निम्नलिखित का समावेश है:
 - (1) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो बैंक की ओर से बैंक झारा जारी प्रतिभूतियों के धारकों के अभिलेख रखता हो तथा उसकी प्रतिभूतियों के अंतरण एवं शोधन से संबंधित मामलों की देख-रेख करता हो, अथवा
 - (II) उप वाक्य (I) में यथावर्णित गतिविधियों का संचालन करने वाला बँक का (जिस किसी भी नाम से ज्ञात) विभाग या प्रभाग
- (य) अध्याय 3 में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित किन्तु डिपोजिटरोज अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अभिप्राय उक्त अधिनियम में उनसे अभिप्रेत अभिप्राय ही होगा ।
- (२) शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां प्रयोग किया गया और जो इन विनियमों के अंतर्गत परिभाषित नहीं की गई है लेकिन जिन्हें योजना के अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है या प्रतिभूति और भारतीय एक्सचेंज बोर्ड ज़ारा जारी दिशा-निर्देश तथा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2 ख) के खण्ड (ग) के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैक को दी गई शक्तियों के अंतर्गत बनाए गए दिशा-निर्देशों से अभिप्रायः योजना के अंतर्गत अधिनियम या प्रतिभूति तथा भारतीय एक्सचेंज बोर्ड ज़ारा जारी दिशा-निर्देशों या भारतीय रिजर्व वैयार रूप रेखा के अंतर्गत, मामले अनुसार, प्रत्येक को साँगी गई ऐसी शकितयों से होगा ।
- 2 क (1) विनिमय 60 के खंड (11) में बताए अनुसार के अतिरिक्त इन विनियमें हेतु जब ओर जहां आवश्यक हो बोर्ड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित एक समिति या उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निर्देशक तथा दो अन्य निदेशको, जैसा भी ठीक समझा जाए, एक समिति गठित की जा सकती है ।
 - (ii) इन विनियमों के अंतर्गत गठित समिति को बोर्ड जारा विनिर्दिष्ट नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करना होगा ।

3624

अध्याय ॥ 🕒

शेयर एवं शेयर रजिस्टर

 शेयरों का स्वरूप- बैंक के शेयर चल संपत्ति होंगे जो इन विनियमों के अधीन किए गए प्रावधान के अनुरूप इस्तांतरणीय होंगे।

रीयर पूंजी के प्रकार:-

(i) अधिमानी शेयर पूंजी से अभिप्रेत है बैंक की शेयर पूंजी का वह अंश जो निम्नलिखित दोनों ही शर्ते पूरी करता हो -

> (क) जहां तक लाभाशों का संबंध है वे इस आशय के अधिमानी अधिकार रखते हैं जिसके अधीन एक नियत रकम या नियत दर पर परिकलित किसी ऐसी रकम का भुगतान करना होता है जो आयकर से या तो मुक्त होती है या फिर उसके अधीन होती है ।

(ख) जड़ों तक पूंजी का संबंध है वह इस आशय के अधिमानी अधिकार रखती है या रखेगी जिनके अधीन समापन पर पूंजी की पुणैती पर इस प्रकार प्रावधान होगा कि सुकता की गई या सुकता मांगी गई पूंजी की रकम सुकता की जाए साहे निम्नलिखित प्रकार की दोनों रकमों में से किसी भी एक या दोनों रकमों के भुगतान के लिए अधिमानी अधिकार हो या न हो अर्थात्

(अ) समापन की तिथि या पूंजी की चुकौती की विधि तक खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रकमों से संबंधित भुगतान के लिए कोड भी रकम तथा

(ब) केन्द्रीय सरकार की पूर्व सडमति से मण्डल जारा विनिर्दिष्ट कोई भी नियत प्रीमियम या किसी नियत मान पर प्रीमियम ।

(ii) "इक्विटी शेयर पूंजी" से अभिप्रेत है ऐसी समस्त शेयर पूंजी जो अधिमानत शेयर पूंजी न हो ।

(00) "अधिमातत शेयर" और "इक्विटी शेयर" अभिव्यक्तियों से पदनुसार अभिप्रेत होगा ।

2-109 GI/2008

[भाग III—खण्ड 4

ž

4 क (1) बैंक पूंजी एकत्र करने हेतु अपने इक्विटी अंश या अधिमान अंशों का सार्वजनिक निर्गम या अधिमान आबंटन या निजी नियोजन कर सकता है।

> (2) बैंक ऐसी पूंजी को एकत्र करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर सकता है जो कि भारतीय सुरक्षा और एक्सबैंज बोर्ड के दिशानिर्देशों, नियमों या विनियमों के अनुसार हो

- (3) सार्वजनिक निर्मम या अधिमान आबंटन या निजी नियोजन या अधिमान अंशों जारा पूजी एकत्र करने हेतु ऐसे अधिमान अंशों को जारी की जाने वाली प्रत्येक श्रेणी का विस्तार शेध्य या अशोध्य तथा जिन शतों पर बैंक जारा ऐसे अधिमान अंश जारी किए जाने हैं उन्हें रिजर्व बैंक जारा जारी प्रावधानों हेतु बनाए गए अधिनियम की धारा 3 की उप धारा श्वि के खंड श्म श्में बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- (4) बैंक इस प्रस्ताव को रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा और इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पूर्व रिजर्व बैंक झारा दिए विचारों को इसमें शामिल करेगा।
- (5) इसके उपरांत तैयार प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार, यदि उद्यित समझे , तो इस पर कुछ शतौँ सहित अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकती है।
- (6) केन्द्रीय सरकार झारा दी गई स्वीकृति पर बैंक पूंजी एकत्र कर सकता है ।

रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले विवरण----

- (i) अन्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 (a) के अनुसार एक रजिस्टर बनाया जाएगा, रखा जाएगा क्षेत्र उसे अखतन किया जाएगा ।
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 (a) में विनिर्दिष्ट विवरणों के अलावा उक्त रजिस्टर में ऐसे अन्य विवरण भी दर्ज किए जाएंगे जो मण्डल झारा/ निर्धारित किए जाएं।

3626

7,

- (iii) किसी शेयर के युक्त धारक होने की स्थिति में उप विनियम (i) झारा अपेक्षित उनके नाम एवं अन्य विवरण ऐसे संयुक्त धारकों के प्रथम नाम के अधीन वर्गीकृत किए जाएंगे ।
- (iv) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2(ध) के परन्तुक के अधीन भारत के बाहर निवास करने वाला कोई शेयरधारक बैंक को भारत के भीतर वाला कोई पता प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा कोई भी पता रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा और वह उक्त अधिनियम एवं इन विनियमों के प्रयोजन हेतु उसका पंजीकृत पता माना जाएगा ।
- 5.क (1) बैंक जब तक रजिस्टर में ही अनुक्रमणिका नहीं बना लेता तब तक एक ऐसी अनुक्रमणिका रखेगा जो अंग्रधारकों के नाम की कार्ड सूची के रूप में हो सकती है और अंग्रधारकों के रजिस्टर में यदि कोई वरिवर्तन किया जाता है तो उस तारीख के बाद 14 दिनों के भीतर अनुक्रमणिका में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।
 - (ii) रोयरधारकों के रजिस्टर के साथ अनुक्रमणिका रखी जाएगी।
- 6. रोयरों और रजिस्टरों पर नियंत्रण उक्त अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों तथा मण्डल झारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अधीन उक्त रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में बनाया और रखा जाएगा तथा वह मण्डल के नियंत्रणाधीन रहेगा एवं किसी शेयर के संबंध में कोई व्यक्ति शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु पात्र हैं या नहीं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अंतिम होगा ।
 - ऐसी पार्टियां जो शेवरधार के रूप में। पंजीकृत नहीं की जा सकती
 - (1) इन विनियमों में अन्यथा लिए गए प्रावधानों के अलावा ऐसे सभी व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम नहीं हैं: शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इस संबंध में मण्डल का निर्णय निर्णायक एवं अंतिम होगा ।

£

(ii) फर्मों के मामले में शेयरों को अलग अलग भागीदारों के नाम पर पंजीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार कोई भी फर्म शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने की पात्र नहीं होगी ।

8. कम्प्यूटर प्रणाली आदि में शेयर रजिस्टर का रख रखाव

- (i) विनियम 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 (च) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने हेतु आवश्यक विवरण उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 (छ) के अधीन प्रधान कार्यालय में रखे जाने वाले कम्प्यूटरों में डिस्केटों, पलापियों, कार्टिजों या अन्यथा (जिन्हे इसमें इसके बाद "माध्यम (मीडिया)" कहा गया है) के रूप में सुम्बकीय/साक्षवीय/सुम्बकीय मीडिया में भण्डारित आंकडे के रूप में सुम्बकीय/साक्षवीय/सुम्बकीय मीडिया में भण्डारित आंकडे के रूप में रखे जाएंगे और उनकी मूलभूत सामग्री (बैंक अप) ऐसे स्थान पर रखी जाएंगी, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक द्वारा समय समय पर पदनामित किए जाने वाले कम से कम महाप्रबंधक की श्रेणी के किसी अधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद " उक्त पदनामित अधिकारी" कहा गया है) झारा निर्धारित किया जाए ।
- (ii) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 11 के साथ पटित उक्त अधिनियम की धारा 3(ख) के अधीन शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने हेतु आवश्यक विवरण उसमें निर्धारित तरीके और विधि से इतैक्दानिक रूप में रखे जाएंगे ।
- (iii) इत्वेक्द्रानिक फार्म में निर्मित रजिस्टर का रखरखाव सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 है 2000 का 21 है के अतर्गत इत्वेक्द्रानिक रिकार्ड की सुरक्षा हेनु अनुबंधित सुरक्षा उपाय झारा संरक्षित किया जाएगा।

э. कम्प्यूटर प्रणाली के संरक्षण हेत पूर्वोपाय:-

(1) विनियम 8 (1) में निर्धारित उस प्रणाली; जिस में आंकडे भंडारित किए जाते हो, तक पहुंच केवल उन्हीं व्यक्तियों तक प्रतिबंधित होगी जिनमें किसी निर्मम के ऐसे पंजीयक और <अथवा शेयर इस्तांतरण अभिकर्ता शामिल होंगे, जो इस उददेश्य के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदनामित अधिकारी ज़ारा प्राधिकृत किए गए हों तथा उसके पासवर्ड. यदि कोई हो एवं एलैक्ट्रानिक सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली को उपयुक्त व्यक्तियों के अभिरक्षण में गोपनीय रखा जाएगा ।

(ii) प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को कम्प्यूटर प्रणाली झारा लागखुक में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे लाग को अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक अधवा पदनामित अधिकारी झारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित अधिकारियों/व्यक्तियों झारा सुरक्षित रखा जाएगा ।

(iii) मूलभूत सामग्री (बैठ अप) की प्रतिया स्थानांतरणीय मीडिया में ऐसे अंतरालों पर निकाली जाएगी जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदनामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे. जिसमें शेयरधारकों के रजिस्टर में किए गए परिवर्तन भी शामिल होंगें। इन प्रतियों की कम से कम एक प्रति ऐसे स्थान पर भंडारित की जाएगी जोकि इस परिसर से अलग हो जिसमें उसकी जांच पडताल की जा रही हो। इस प्रति को किसी ऐसे अग्निसह पर्यावरण में भंडारित किया जाएगा, जिसमें ताला लगाए जाने की व्यवस्था हो तथा जहां तापमान अपेक्षित स्तर वाला हो । दोनों ही स्थानों पर रखी गई मूलभूत सामग्रियों (बैक अप) तक प्रवेश केवल उन्ही व्यक्तियों तक प्रतिबंधित होगा जो इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा पदनामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो । इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्तियों को अपने प्रवेश की उक्त स्थान पर रखे गए दस्ती रजिस्टर में अभिलिखित करना होगा।

- (iv) प्राधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे मूलभूत सामग्री (बैकअप) के आंकडों का कम्प्यूटर प्रणाली के समुचित साफ्टवेयर से मिलान करें ताकि मूलभूत सामग्री की (बैक अप) शुद्धता सुनिश्चित हो सके । इस कार्य के परिणाम को इस प्रयोजन हेतु रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित करना होगा ।
- (v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए यह विधि सम्पन्न होगा कि वह किसी विशेष या सामान्य आदेश जारा तकनीकी विकास और अथवा शतों की अपरिहार्यता या किसी अन्य सम्बद्ध कारण के उचित आधार पर कम्प्यूटर प्रणाली में रखे जाने वाले शेयरधारकों के रजिस्टर में बरते जाने वाले पूजी से संबंधित अनुदेशों को परिवर्धित या आशोधित करें ।

3629

i

- 18. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:- यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हो तो रजिस्टर में पहले नामोल्लिखित व्यक्ति को, मतदान लाभाश प्राप्ति, नोटिस देने तथा शेयर हस्तांतरण के अलावा बैंक से संबंधित सभी या किसी मामले में , उसका एकमात्र धारक माना जाएगा ।
- 11. रजिस्टर का निरीक्षण
 - (i) उक्त रजिस्टर विनियम 12 के अधीन बद रखे जाने के अलावा किसी भी शेयरधारक के निशुल्कः निरीक्षण के लिए कारोबार के समय के दौरान जिस स्थान पर रखा गया हो उस स्थान पर ऐसे उपयुक्त प्रतिबंधों के अधीन उपलब्ध रहेगा, जो मण्डल झारा लगाए जाएं किन्तु वह इस प्रकार उपलब्ध रहेगा कि प्रत्येक कामकाज के दिन कम से कम दो घंटों के लिए निरीक्षण की अनुमति रहे ।
 - (ii) कोई भी शेयरधारक उक्त रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को निशुल्क उब्दत कर सकेगा अथवा यदि वह उक्त रजिस्टर या उसके किसी हिस्से की प्रतियां कम्प्यूटर प्रिंट चाहे तो उसे नकल किए जाने वाले प्रत्येक 1000 शब्द या उसके अनुपातिक हिस्से के लिए रू.5 या किसी ऐसी दर पर जिसे मण्डल जारा निश्चित किया गया हो, की दर से पूर्व भुगतान किए जाने पर उपलब्ध हो सकेगी ।
 - (iii) उप नियम (ii) में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी विहित रूप से प्राधिकृत किसी सरकारी अधिकारी को उक्त रजिस्टर में की गई किसी भी प्रविष्टी की प्रति निकालने का अधिकार होगा अथवा उक्त रजिस्टर या उसके किसी हिस्से की प्रति उसे उपलब्ध कराई जाएगी।

12. रजिस्टर बंद करनाः बैंक लागू दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा स्टाक एकसचेज के साथ किए करार तथा भारत में प्रकाशित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन डारा कम से कम सात दिनों की पूर्व सूचना देते हुए शेयर धारकों का रजिस्टर किसी भी ऐसी अवधि या अवधियों के लिए बंद कर सकता है जो उसकी राय में आवश्यक हो तथा जो प्रत्येक वर्ष में कुल मिला कर पैतालीस दिन से अधिक नहीं, किन्तु एक बार में तीस दिन से अधिक नहीं होगी ।

3630

1

13. शेयर प्रमाण-पत्र

(1) प्रत्येक शेवर प्रमाण-पत्र पर शेवर प्रमाण-पत्र संख्या एक प्रभेदक संख्या, उन शेवरों की संख्या जिनके संबंध में उन्हें जारी किया जा रहा हो तथा उस शेयर धारक का नाम जिसे वह जारी किया जा रहा हो, दिए गये होगे और ये सब मण्डल झारा किए गए निर्णय के अनुरूप होंगे ।

(ii) प्रत्येक शेयर प्रमाण-पत्र मण्डल झारा पारित संकल्प के अनुसरण में बैंक की सामान्य मुद्रा (सील) के अधीन जारी किया जाएगा तथा वह दो निदेशकों एवं इस प्रयोजन के लिए मण्डल झारा नियुक्त कुछेक अन्य अधिकारियों जोकि वेतन मान II से नीचे के न हों या बोर्ड झारा नियुक्त कम्पनी सचिव झारा हस्ताक्षरित होगा ।

शर्त यह है कि निदेशकों के हस्ताक्षर किसी ऐसी संत्रिक प्रक्रिया के झारा मुद्रित, उत्कीणित, शिलामुद्रित या मुद्रांकित किए जाएंगे, जिनके लिए मण्डल निर्देश दें ।

(iii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्णित, शिलामुद्रित अन्यथा मुद्रोकित डस्ताक्षर स्वयं डस्ताक्षरी की समुचित लिखावट में किए गए डस्ताक्षर जितने ही वैध होंगे ।

(iv) कोई भी शेयर प्रमाण पत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह इस प्रकार हस्ताक्षरित न हो, इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाण पत्र इस बात के बावजूद भी वैध और बाध्यकर होंगे कि उनके जारी किए जाने के पूर्व वह व्यक्ति जिसने उन पर हस्ताक्षर किया है, ओर शेयर प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नहीं रह गया है ।

14. प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

(1) किसी शेवरधारक को शेवर प्रमाण-पत्र जारी करते समय मण्डल के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह किसी एक अवसर पर उसके नाम पर पंजीकृत प्रत्येक सौ शेवरों या उनके गुणजों के लिए एक प्रमाण-पत्र तथा उससे अधिक संख्या वाले शेवरों किंतु जो सौ शेवर से कम हों, के लिए एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करें।

(ii) यदि पंजीकृत किए जाने वाले शेयरों की संख्या साँ से कम हो तो समस्त शेयरों के लिए एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।

(iii) कुछेक व्यक्तियों झारा संयुक्त रूप से धारित किसी शेवर / किन्ही शेवरों के संबंध में बैंक एक से अधिक प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु बाध्य नहीं होगा तथा कुछेक संयुक्त धारकों में से किसी एक को एक शेवर प्रमाण- पत्र की सुपुर्दमी ऐसे सभी धारकों को की गई पर्याप्त सुपुर्दगी होगी ।

15. नए या इप्लिकेट शैयर प्रमाण-पत्र जारी करना

(i) यदि कोई प्रमाण-पत्र धिस गया हो या खराब हो गया हो, या मण्डल या उसके झारा पदनामित समिति ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उसे रदद किए जाने तथा उसके स्थान पर नया प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का आदेश दे सकता/सकती है।

(ii) यदि किसी प्रमाण-पत्र के छो जाने या नघ्ट हो जाने विषयक अभिकथन किया गया हो, तो मण्डल या उसके झारा पदनामित समिति झारा जामिन सहित उसके बिना ऐसी पहचान किए जाने पर जो मण्डल या समिति उपयुक्त समझे तथा दो समाचार पत्रों में प्रकाशन पर एवं बैंक को उसकी लागतों प्रभारों और व्ययों का भुगतान किए जाने पर उस प्रमाण-पत्र के स्थान पर उसकी अनुलिपि उस व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है जो इस प्रकार खोए हुए या नघ्ट हुए प्रमाण-पत्रों हेतु पात्र हों।

16. शेयरों का समेकन एवं उप विभाजन -शेयरधारक(कों) झारा लिखत आवेदन किए जाने पर मण्डल या उसके झारा पदनामित समिति उसे समेकन/उप विभाजन जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्रस्तुत शेयरों को समेकित या उप विभाजित कर सकता /सकती है तथा बैंक को उसकी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों एवं उक्त मामलों के प्रासमिक खर्चों का भुगतान किए जाने पर उस /उन प्रमाण-पत्र/पत्रों के स्थान पर नया/नये प्रमाण-पत्र जारी कर सकता /सकती है ।

17. रोयरों का हस्तांतरण

- (1) बैंकों के शेयरों का प्रत्येक इस्तांतरण इसके साथ संलग्न फार्म "क" या बैंक द्वारा समय समय पर अनुमोदित किए जाने वाले ऐसे ही अन्य फार्म में हस्तांतरण लिखत के माध्यम से होगा तथा वह इस्तांतरणकर्ता एवं इस्तांतरिती द्वारा या उनकी ओर से संबंधित शेयर प्रमाण-पत्र के साथ ही विहित रूप से मुदांकित दिनांकित एवं निष्पादित किया जाएगा ।
- (11) शेयर प्रमाण-पत्र के साथ उक्त हस्तांतरण लिखत बैंक को उसके प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा जब तक शेयर इस्तांतरण रजिस्टर में हस्तांतरिती का नाम दर्ज नहीं किया जाता, तब तक यह माना जाएगा कि हस्तांतरणकर्ता ही ऐसे शेयर का धारक है ।

(iii) बैंक झारा हस्तांतरण को पंजीकृत करने हेतु अनुरोध सहित शेयर प्रमाण-पत्र के साथ हस्तांतरण लिखत की प्राप्ति पर मण्डल या उसके झारा पदनामित समिति शेयर प्रमाण-पत्र के साथ उक्त हस्तांतरण लिखत को, तकनीकी आवश्यकताओं का उनकी परिपूर्णता के अनुरूप अनुपालन किया गया है या नहीं, इस बात के सत्यापन के प्रयोजन से पंजीयक और अधवा शेयर हस्तांतरण अभिकर्ताओं को अम्रेषित करेगा करेगी । पंजीयक और अधवा शेयर हस्तांतरण अभिकर्ताओं को अम्रेषित करेगा करेगी । पंजीयक और अधवा शेयर हस्तांतरण अभिकर्ताओं को अम्रेषित करेगा करेगी । पंजीयक और अधवा शेयर हस्तांतरण अभिकर्ताओं को अम्रेषित करेगा करेगी । पंजीयक और अधवा शेयर हस्तांतरण अभिकर्ताओं को अम्रेषित करेगा करेगी । पंजीयक और अधवा शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता शेयर प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, के साथ उक्त हस्तांतरण लिखत निम्नलिखित शर्त पूरी न होने की स्थिति में हस्तांतरिती को पुर्नप्रस्तुतीकरण हेतु वापिस करेगा जब तक कि विहित रूप से मुद्रांकित एव पंजीकरण हेतु समुचित रूप से निष्पादित हस्तांतरण लिखत होक को प्रस्तुत किय जाएं तथा उनके साथ लिखत जिन प्रमाण पत्रों से संबंधित हो, व शेयर तथा ऐसे साक्ष्य भी लगे हों, जिन्हें इस प्रकार का हस्तांतरण करने हेतु हस्तांतरणकर्ता का हक दर्शाने के लिए मण्डल को आवश्यकता हो ।

स्पष्टीकरणः- "तकनीकी अपेक्षाओं" से अभिप्रेत है;

क) अंतरण विलेख पर विधिवत् स्टांप लगा हो ।

ख) अंतरण विलेख में वर्णित प्रमाण-पत्र संख्या या विशिष्ट संख्या शेयर प्रमाण पत्र संख्या से मेल खाती हो ।

ग) अंतरण विलेख में इस्ताधार मूल नमुना से मेल खाते हों।

छ) अंतरण विलेख पर साक्षी के हस्ताक्षर ।

- (iv) मण्डल या उसके झारा पदनामित समिति जब तक कि वह विनियम 19 के अधीन हस्तांतरण पंजीकृत करने से इन्कार न कर दे, इसमें इसके बाद हस्तांतरण को पंजीकृत करेगा/करेगी ।
- (v) विनियम 19 के अंतेंगत शेयरों के अंतरण से इन्कार अथवा अन्यथा स्थिति में विधिवत् अंतरित शेयर सर्टिफिकेट अंतरिती को अंतरण लिखत प्रस्तुत करने की तारीख के साठ दिने के भीतर सुपुर्द कर देंगें ।
- 18. इस्तातरणों को निलम्बित करने का अधिकार मण्डल या उसके झारा पदनामित समिति उस अवधि में कोई भी इस्तातरण पंजीकृत नहीं करेगा/करेगी जिसमें रजिस्टर बंद रखा गया हो ।

4----109 G1/2008

3633

- 19. रोयर इस्तांतरण के पंजीकरण को अस्वीकृत करने से संबंधित मण्डल के अधिकार (i) मण्डल निम्नलिखित में से किसी एक या उससे अधिक आधार पर, और किसी अन्य आधार पर नहीं, इस्तांतरिती के नाम पर किसी रोयर को इस्तांतरित करने से इन्कार कर सकता है।
 - (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए या फिर ऐसे इस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित कानून के अधीन किसी अन्य अपेक्षा के पूरी न होने की स्थिति में शेयरों का हस्तांतरण।
 - (ख) मण्डल की राय में शेयरों का हस्तातरण बैंक के हितों या लोकहित के प्रतिकुल हो ।
 - (ग) न्यायालय, अधिकरण या तत्यगय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा शेयर हस्तीतरण प्रतिबंधित हो ।
 - (घ) भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति या कम्पनी या भारत में अप्रवृत्त किसी कानून के अधीन मठित किसी कम्पनी में या ऐसी कम्पनी की किसी शाखा चाहे तो वह भारत से बाहर की निवासी हो या नहीं, इस्तांतरण हेतु दी जा रही अनुमति पर उसके फलस्वरूप बैंक के शेयरों के धारित कर सकेगा/सकेगी या प्राप्त कर सकेगा /कर सकेगी तथा इस प्रकार किया गया कुल निवेश चुकता पूंजी के 20 (बीस प्रतिशत) से अधिक या केन्द्रीय सरकार झारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना झारा विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक होगा ।
 - (ii) बैंक मण्डल या समिति शेयरों के इस्तोतरण लिखत को हस्तोतरण के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए उसके पास जमा किए जाने के उपरान्त अपना इस आशय क अभिमत बनाएगा कि ऐसे पंजीकरण को उपविनियम (i) में उल्लिखित आधारों में से किस एक आधार पर अखीकृत किया जाना आवश्यक है या नहीं –
 - (क) यदि, उसने इस आशय का अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण को इस प्रकार अस्वीकृत किया जाना उचित नहीं है तो वह ऐसे पंजीकरण को प्रभावी बनाएगा और

(ন্তু)

यदि उसने इस आशय को अभिमत बनाया है कि ऐसे पंजीकरण की उप विनियम (1) में वर्णित आधारों में से किसी एक आधार पर अस्वीकृत किया जाना उचित है तो वह इस्तांतरण फार्म प्राप्त होने के साठ दिनों या संबंधित स्टाक एक्सचेंज के साथ किए किसी समझौते के अंतर्गत बताई गई ऐसी किसी अवधि के भीतर लिखत सूचना जारा हस्तांतरणकर्ता एवं इस्तांतरिती को सूचित करेगा ।

20. मृत्यु, दिवाला आदि की स्थिति में शेयरों का प्रेषण:-

- (i) किसी शेयर के संबंध में शेयरधारक के निष्पादकों या प्रशासकों अथवा वसीयत की प्रति सहित या उसके बिना वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र के धारक, या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग (X) के अधीन जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या किसी विधिक प्रतिनिधित्व के धारक या कोई ऐसा व्यकित जिसके पक्ष में मृत एकल धारक झारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध हस्तांतरण लिखत निष्पादित किया मया या एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगें जिन्हें बैंक झारा ऐसे शेयर पर किसी प्रकार का हक रखने वाला माना जाएगा ।
- (ii) शेयर के दो या उससे अधिक शेयरवारकों के नाम पर पंजीकृत होने के मामले में उत्तरजीवी या उत्तरजीवीमण तथा अंतिम अन्तरजीवी की मृत्यु हो जाने पर. उसके निष्पादक या प्रशासक या कोई ऐसा व्यक्ति जो वसीयत पत्र या वसीयत लगे हुए या उसके बिना प्रशासन पत्र या उन्तराधिकार प्रमाण-पत्र या उक्त शेयर से जुडे हुए ऐसे उन्तरजीवी के हितों के संबंध में किसी अन्य विधिक प्रतिनिधित्व का धारक हो या ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में उक्त व्यक्ति झारा एवं ऐसे अंतिम उन्तरजीवी झारा अंतिम उत्तरजीवी के जीवनकाल में वैध शेयर हस्तातरण लिखित निष्पादित किया गया हो, एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे बैंक झारा ऐसे शेयर पर किसी प्रकार का हक रखने वाले के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।
- (iii) बैंक ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को तब तक मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि उन्होंने सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त न किया हो।

तथापि, शर्त यह है कि यदि मण्डल अपने विवेक के अधीन यह उचित समझे तो उसके लिए यह विधिसम्मत होगा कि यह क्षतिपूर्ति या अन्यथा ऐसी शर्तों जिन्हें उचित समझे के पूरी किए जाने पर वसीयत पत्र या प्रशासन-पत्र या उत्तराधिकार पत्र या ऐसे ही अन्य विधिक प्रतिनिधित्व के प्रस्तुतीकरण से छ्ट दे सकता है ।

- - (क) ऐसे शेवर के संबंध में शेवर-धारक के रूप में पंजीकृत किया जाता.
 - (ख) ऐसे शेयर का इस प्रकार हस्तांतरण करना जैसे कि वह व्यक्ति कर सकता था जिससे उसने हक प्राप्त किया हो ।
- 21. शेयरधारक का पंजीकरण हेतु पात्र न रह जानाः चाहे एकल या किसी अन्य अथवा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किसी भी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी शेयर के सम्बन्ध में इस प्रकार पंजीकृत किये जाने के योग्य न रह जाने के तुरंत बाद इस विषय में निदेशक मण्डल को अपनी अयोग्यता की सूचना दें।

रुपच्टीकरणः - इस विनियम के उद्देश्यों हेतु एक शेयर धारक पंजीकरण किए जाने से अपना हक खो सकता है;

क) यदि वह किसी नाबलिंग के बालिग होने पर भी उस नाबालिंग का संरक्षक है ।
 ख) यदि कोई कहाँ न होते हुए भी शैयरधारक बना रहता है ।

22. शेयरों से संबंधित मांगः मण्डल समय समय पर शेयरधारकों से उनके झारा धारित शेयरों पर भुगतान के लिये बकाया रहने वाली उन समस्त धनराशियों , जो आबंटन की शर्तों झारा नियत अवधियों पर देव नहीं होती, के संबंध में ऐसी मांग करें, जो वह उचित समझे और प्रत्येक ऐयर धारक की उससे इस प्रकार की गई प्रत्येक मांग की रकम का भुगतान उस व्यक्ति की मण्डल झारा नियत समय एवं स्थान पर करना होगा। मांग किस्तों में देय हो सकती है। 23. संकल्प की तिथि से मांग- किसी मांग को उस समय से की गई माना जायेगा जब से मेरी मांग प्राधिकृत किये हुए मण्डल जारा संकल्प पारित किया गया हो तथा उसे रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों जारा ऐसी तिथि या मण्डल के विवेकाधिकार से उसके ज्ञारा नियत की जाने वाली उत्तरवर्ती तिथि से देव बनाया जाना चाहिये।

24. मांग नोटिस- प्रत्येक मांग पर कम से कम तीस दिन का नोटिस दिया जायेगा, जिसमें भुगतान के समय का उल्लेख होगा, बशतें कि ऐसी मांग के भुगतान के समय के पूर्ण मण्डल शैयरधारकों को दिये जाने वाले लिखित नोटिस झारा उसे निरस्त न कर दे।

25. मांग राशि के भुगतान का समय बढानाः – मण्डलः समय समय पर और अपने विवेक से शेयरधारक / कों के निवास स्थान की दूसरी अथवा कुछेक अन्य पर्याप्त कारण पर विचार करते हुए सभी शेयरधारकों या उनमें से किसी एक को किसी मांग के भुगतान हेतु नियत समय को बढ़ा सकता है किन्तु किसी शेयरधारक को ऐसे समय बढ़ाये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

26. संयुक्त धारकों के दायित्व- किसी शेयर के संयुक्त धारक संयुक्त रूप से और अलग अलग उक्त शेयर से संबंधित सभी मांगों का भुगतान करने के लिये जवाबदेह होंगे।

27. मांग के रूप में नियत समय पर या किश्तों झारा देव रकम- यदि किसी शेवर के निर्मम की शतीं झारा या अन्यथा कोई रकम किसी नियत समय पर या नियत समयों पर किश्तों में देव हों तो ऐसी प्रत्येक रकम या किश्त उस रूप में देव होगी जैसे कि वह मण्डल झारा विहित रूप से की गई मांग पर हो और जिसके लिए विहित नोटिस दिया गया हो और उक्त मोगों के सम्बन्ध में इसमें समादिष्ट सभी प्रावधान तदनुसार ऐसी रकम या किस्त से संबंधित होंगे।

28. जब मांग या किश्त पर ब्याज देय हो:- यदि किसी मांग या किश्त से संबंधित देव धनराशि का उसके भुगतान के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन तक भुगतान न किया गया हो , तो जिस शेयर के संबंध में मांग की गई होगी या किश्त देय हुई होगी, उस समय उसके धारक या आबंटिती को ऐसी धनराशि पर उसके भुगतान के लिए नियत दिन से वास्तविक भुगतान के समय तक मण्डल ज्ञारा समय समय पर नियत की जाने वाली दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, किंतु मण्डल अपने विवेक पर ऐसे ब्याज की अदायगी को पूर्णतः या आंशिक रुप से छुट दे सकता है।

29. शेयरधारक झारा मांग धनराशि की गैर अदायगी- कोई भी शेयरधारक जब तक रूवये जारा चाहे एकल रूप से या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित प्रत्येक शेयर पर तत्समय बकाया और देव सभी मांग धनराशियों का उन पर लगाये जाने वाले ब्रगज एवं खर्च 5-109 GV2008 ं सहित भुगतान नहीं कर चुका होगा, तब तक किसी प्रकार का लाभाश प्राप्त करने का शेयरधारक के किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।

30. मांग धनराशि या किश्त की मेर अदायमी पर नोटिसः- यदि कोई शेयरधारक किसी मांग धनराशि या किश्त या किसी शेयर के संबध में चाहे मूलधन या फिर ब्याज के रूप में देव किसी धनराशि का उसके भुगतान के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन तक पूर्णतः या उसके किसी अंश का भुगतान करने में असफल रहता है तो बैंक तत्पश्चात उस समय के दौरान जब तक मांग धनराशि या किश्त या उसका कोई भी अंश अन्य धनराशियां भुगतान हेतु बकाया रहती है या उनसे संबधित किसी निर्णय या डिक्री का पूर्णतः या आंशिक रूप से समाधान नहीं होता, तो किसी भी समय ऐसे शेयरधारक या शेयर के हकदार व्यक्ति । यदि कोई हो हो ऐसा बोटिस भेज सकता है, जिसमें उससे ऐसे मांग धनराशि या किश्त या उनके या अन्य धनराशियों के ऐसे अंश का भुगतान करने के लिए कहा गया हो, जो भुगतान हेतु बकाया हो, इनमें उस समय तक उपचित हो चुके किसी ब्याज तथा ऐसे सभी खर्चों ह विधिक या अन्यथा का भी समावेश होता, जिनका इस प्रकार की गैर अदायगी के कारण बैंक झरा भुगतान किया गया हो या वहन किया गया हो ।

31. जब्ती का नोटिस- जब्ती के नोटिस में उस दिन, जो नोटिस की तिथि से बौदह दिन से कम न हो तथा उस या उस स्थान या स्थानों का नामोल्लेख होना चाहिए जिस या जिन पर ऐसी मांग धनराशि या किस्त या ऐसे अंश या अन्य धनराशियों तथा उपयुंक्तानुसार ब्याज एव खर्चों का भुगतान किया जाना हो। उक्त नोटिस में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि नियत समय के पूर्व या उस समय तक ओर स्थान पर भुगतान न होने की स्थिति में ऐसे शेयर जिनके सम्बंध में मांग की गई थी या किस्त देय है, जब्त कर लिए जाने के पात्र होंगे।

32. जूक पर जब्त किए जाने वाले शेयर- यदि पूर्वोक्तानुसार दिए गए नोटिस की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो जिन शेयरों के सम्बन्ध में ऐसा नोटिस दिया गया है उसमें से कोई भी शेयर उसके पश्चात किसी भी समय मांग धनराशि या किश्ते ब्याज और खर्चे या उनसे संबंधित देव धनराशियां उक्त आश्य के मंडल के संकल्प जारा जब्त किए जा सकेंगे । ऐसी जब्ती में से जब्त किए गए शेयरों के संबंध में धोषित और जब्ती के पूर्व वास्तविक रूप से भगतान न किए गए सभी लाभांशों का समावेश होगा ।

33. रजिस्टर में जब्ती की प्रविधिः - विनियम 32 के अधीन कोई रोयर जब्त कर लिए जाने पर जब्ती के रजिस्टर में उसकी तिथि सहित प्रविधिट की जानी होगी।

3638

34. जब्त शेयर बैंक की सम्पत्ति होगें और बेचे जा सकेंगे:- इस प्रकार जब्त किया गया कोई भी शेयर बैंक की सम्पत्ति माना जाएमा और उसे ऐसी शतों पर तथा ऐसी विधि से जो मंडल निर्धारित करे, किसी भी व्यक्ति को बेचा जा सकता है, पुनः आबंटित किया जा सकता है या अन्यथा निबटाया जा सकता है।

35. जब्ती को निष्प्रभावी बनाने का अधिकार: – विनियम 32 के अधीन इस प्रकार जब्त किए गए किसी शेयर के बेच दिए जाने, पुनः आबंटित किए जाने तथा/ या अन्यथा निबटा दिए जाने से पूर्व मंडल किसी भी समय ऐसी शतों पर, जिन्हें वह उचित समझे उसकी जब्ती को निष्प्रभावी बना सकता है।

36. जब्ती के समय बकाया धनराशि और ब्याज के भुगतान के लिए शेयर धारक जिस्मेदार है:- कोई भी ऐसा शेयर धारक जिसके शेयर जब्त किए गए हों, जब्ति के बावजूद भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा तथा वह बैंक को सभी मांगराधियों, किश्तों, ब्याज, खर्चों तथा जब्ती के समय उन पर ऐसे शेयरों के संबंध में देय अन्य धनराशियों का जब्ती के समय से भुगतान की तिथि तक मंडल झारा यथानिधीरित दर के अनुसार, उन पर उपचित ब्याज सहित, तत्काल भुगतान करेगा तथा मंडल उनके पूर्णतः या किसी हिस्से के भुगतान को प्रवृत्त करेगा।

37. आंधिक भुगतान से जब्ती प्रतिबाधित नहीं होगी:- माग धनराशियों या किसी शेयर के संबंध में बकाया अन्य धनराशियों के लिए बैंक के पक्ष में हुआ न तो कोई निर्णय या न कोई डिक्री, न ही उसके अधीन किया गया कोई भुगतान या समाधान, ही बैंक ज़ारा किसी धनराशि के ऐसे हिस्से की प्राप्ति, जो किसी शेयरधारक से समय समय पर किसी शेयर के संबंध में बाहे मूलधन के रूप में या ब्याज के रूप में बकाया हो, तो ही किसी धनराशि के भुगतान के संबंध में बैंक ज़ारा मज़्र किया गया कोई अनुग्रह इन विनियमों के अधीन ऐसे शेयरों की जब्ती को प्रतिबाधित करेगा।

38. शेयर की जब्ती बैंक के विरुद्ध सभी दावों को समाप्त कर देती है:- किसी शेयर की जब्ती में जब्ती के समय उससे जुडे सभी हितों और उक्त शेयर के संबंध में बैंक के विरुद्ध किए जाने वाले सभी दानों एवं की जाने वाली मांगों तथा केवल उन अधिकारों को छोड़कर जो इस प्रसंविदाओं झारा स्पष्ट रूप से अधिव्यक्त कर दिए गए है. उक्त शेयर से प्रासंगिक अन्य सभी अधिकारों की समाप्ति शामिल होती है।

39. जब्द कर लिए जाने के फलरवरूप बिक्री, पुनर्निर्मम, पुनराबंटन या निपटान पर मूल रेयरों का अकृत और ग्रून्य हो जाना: - पूर्वगामी विनियम के प्रावधानों के अधीन किसी बिक्री, पुनर्निर्मम, पुनराबंटन या अन्य निपटान पर संबंधित रेयरों के संबंध में मूल रूप से जारी प्रमाणपत्र अजब तक कि बैंक झारा की गई मांग पर चूककर्ता सदस्य झारा उसे न सौंप दिए गए हों। निरस्त हो जाएंगे तथा अकृत और ग्रून्य हो जाएंगे एवं निष्प्रभावी हो जाएंगे, मंडल उन व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उनके पात्र हो उक्त रेयरों के संबंध में नया या नए प्रमाणपत्र जारी करने का हकदार होगा।

40. जब्दी प्रावधानों का लागू होना :- इन विनियमों के जब्दी से संबंधित प्रावधान किसी धनराशि के भुगतान न होते की स्थिति में लागू होगें, जो किसी शेयर के निर्गम की शर्त, किसी नियत समय पर चाहे शेयरों के नाममात्र मूल्य के रूप में या फिर प्रीमियम के रूप में इस प्रकार देय होते हैं जैसे कि वे विहित रूप से की गई मांग के फलज्वरूप देय बनाए गए हों।

41. रोयरों पर धारणाधिकार (1) बैंक का निम्नलिखित पर प्रथम एवं सर्वोच्च धारणाधिकार होगाः

- (क) प्रत्येक शेयर हो पूर्णतः हकता शेयर न हो रूपर उस शेयर से संबंधित मांग या नियत समय पर देव सभी प्रकार की धनराशियों (बाहे वे वर्तमान में देव हो या नहीं) के लिए ।
- ख) किसी एकल व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत किए हुए सभी शेयरों % जे।
 पूर्णतः चुकता शेयर न हों % पर बैंक को उनकी संपदा झारा वर्तमान में
 देय सभी प्रकार की धनराशियों के लिए ।
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर शबाहे एकल रूप में या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से शपंजीकृत सभी शेयरों पर तथा खेंक के प्रति या उसके साथ एकल रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उसकी/उनकी देनदारियों, देयताओं और प्रतिबद्धताओं के लिए उनके बिक्री आगमों पर, बाहे उनके सुगतान, पूर्णता या उन्मोचन की अवधि वास्तविक रूप से पूरी हो गई हो या नहीं, तथा खेंक झारा उसके धारणाधिकार पर किसी शेयर पर किसी प्रकार की सामयिक हितबद्धता को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी।

शर्त यह है कि निदेश्क मंडल किसी भी समय किसी भी शेयर के लिए इस खंड के प्रावधानों से पूर्णतः या आंशिक छूट की झोबणा कर सकता है। (ii) किसी शेवर पर बैंक का धारणाधिकार यदि कोई हो तो उस पर देव सभी लाभाशों तक विस्तारित होगा ।

42. शेयरों की बिक्री पर धारणाधिकार लगाना

- (i) बैंक किसी भी ऐसे शेवरों को, जिस पर कंपनी का धारणाधिकार हो, उस विधि से बेच सकता है जो मंडल उचित समझे।
 - (क) यदि जिस धनराशि के संबंध में धारणाधिकार अस्तित्व में है, वह वर्तमान में देश ही, और
 - (ख) शेयर के तत्समय पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु अथवा दिवालिया हो जाने के कारण उसके हकदार व्यक्ति को इस आशय का उल्लेख करते हुए तथा जो रकम वर्तमान में देय हो उसके जिस हिस्से के संबंध में धारणाधिकार अस्तित्व में हो, उसके भुगतान की मांग करते हुए लिखित रूप में नोटिस दिए जाने के चौदह दिन की समाप्ति पर ।
- (ii) किसी भी ऐसे बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए मण्डल उन शेयरों के खरीदार को बेचे गये शेयर इंस्तांतरित करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है।

43. शेयरों के बिक्री आगमों का उपयोगः विनियम 42 के अधीन किसी बिक्री के निवल आगमों का ऐसी बिक्री लागत घटाने के उपरांत उपयोग ऐसे कर्ज या देवता के समाधान में किया जाएगा जिसके संबंध में फिलहाल धारणाधिकार अस्तित्व में हो, क्योंकि वह वर्तमान में देय है तथा शेष राशि , यदि कोई हो, का भुगतान शेयरधारकों अथवा उस व्यक्ति, यदि कोई हो, को किया जाएगा, जो इस प्रकार बेचे गए शेयरों के प्रेषण डारा हकदार हो।

44. जब्दी प्रमाणपत्रः किसी निदेशक या कंपनी सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए विडित रूप से प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य अधिकारी की लिखावट में इस आशय का प्रमाणपत्र कि शेयर के संबंध में मांग की गई थी और कि उक्त शेयर की जब्दी मण्डल के उक्त आशय के संकल्प द्वारा की गई थी, ऐसे शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उसमें वर्णित तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा।

45. जब्त शेयर के खरीदार एवं आबंटिती का हक:- बैंक किसी शेयर की किसी बिक्री, पुनरांबंटन या उसके किसी अन्य निपटान पर दिए जाने वाले प्रतिफल को प्राप्त कर सकता है तथा जिस व्यक्ति की ऐसा शेयर बेचा, पुनराबंटित या निपटाया गया है , उसे उक्त शेयर के ۲.

धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और वह प्रतिफल यदि कोई हो, के उपयोग का ध्यान रखने के लिए बाध्य नहीं होगा, न ही शेयर की जब्ती, बिक्री ,पुनराबटन या अन्य निपटान के संदर्भ में होने वाली कार्यवाहियों में बरती गई किसी प्रकार की अनियमितना या अवैद्यता ज़ारा शेयर से संबंधित उसका हक प्रभावित होगा तथा बिक्री ज़ारा असंतुष्ट किसी व्यक्ति का उपचार केवल क्षतिपूर्ति से और वह भी पूर्णत बैंक के विरुद्ध होगा।

46. रोगरधारकों को नोटिस या प्रलेख तामील करनाः

(i) बैंक किसी शेयरधारक को नोटिस या प्रलेख या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके आवासीय पते पर सामान्य डाक डरा रा फिर यदि भारत में उसका कोई आवासीय पता न डो तो उसे नोटिस देने के लिए उसके ढारा बैंक को दिए गये भारत के भीतर के पते यदि हो, पर तामील कर स्कता है।

(ii) जहां कोई प्रलेख या नोटिस डाक द्वारा भेजा गया हो, ऐसे प्रलेख या नोटिस से तामील किए जाने की उक्त प्रलेख या नोटिस वाले पत्र के समुचित रूप से संशोधन , पूर्व भुगतान या प्रेषण द्वारा प्रभावित किया गया माना जाएगा।

शर्त यह है कि जहां किसी शेयरधारक ने बैंक को अग्रिम रूप से इस आशय की सूचना दी हो कि उसे प्रलेख डाक प्रमाणपत्र के अंतर्गत या रसीदी अथवा मेर रसीदी पंजीकृत डाक झरा या कोरियर झरा या इलैक्द्रानिक यंत्र झरा भेजे जाने चाहिए तथा ऐसा करने में होने वाले खर्च का हिसाब चुकाने की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि बैंक जमा कर दी हो, तो जब तक कि उक्त प्रलेख या नोटिस शेयरधारक झरा सूचित विधि से न भेजे गए हों,उन्हें तामील किया हुआ नहीं माना जाएगा और किसी बैठक से संबंधित नोटिस के मामले में ऐसे तामील को उक्त नोटिस वाले पत्र के प्रेषित किए जाने के उपरांत अडतालीस घंटों की समाप्ति पर तथा किसी अन्य मामले में उस समय तामील किया हुआ माना जाएगा जब कि डाक प्रेषण की सामान्य प्रक्रिया का इलैक्द्रानिक मीडिया में उक्त पत्र की सुपुर्दगी की जा सकती थी।

(iii) भारत में व्यापक तौर पर प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में विज्ञापित किसी नोटिस या प्रलेख को जिस दिन उक्त विज्ञापन प्रकाशित हो, उस दिन बैंक के ऐसे प्रत्येक शेयरधारक . को तामील किया हुआ माना जाएगा, जिसका भारत में कोई भी पंजीकृत पता न हो और जिसने उसे नोटिस देने के लिए बैंक को भारत के भीतर का कोई पता दिया हो !

(10) बैंक झारा किसी शेवर के संयुक्त धारक को कोई नोटिस या प्रलेख उक्त शेवर से संबंधित रजिस्टर में पहले नामोल्लेख वाले संयुक्त धारक को तामील करते हुए तामील किया जा सकता है और इस प्रकार दिया गया नोटिस उक्त शेवरों के सभी धारक को पर्याप्त नोटिस होगा। (v) बैंक झरा किसी शेयरधारक की मृत्यु पर वा दिवालियापन के फलस्वरूप किसी शेयर के हकदार व्यक्तियों को उनके नाम झारा या मृत के प्रतिनिधियों की उपाधि झारा या दिवालिए के समनुदेशितियों या ऐसे ही किसी अन्य विवरण झारा सम्बोधित करते हुए इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों झारा उक्त प्रयोजन हेतु दिए गए पते, यदि कोई हो, पर अथवा जब तक कोई ऐसा पता न दे दिया जाए तब तक मृत्यु या दिवाला न होने की स्थिति में जिस विधि से तामील किया गया होता, वैसी ही किसी भी विधि से तामील करते हुए कोई नोटिस या प्रलेख दिया जा सकता है।

(vi) बैंक झारा दिए जाने वाले किसी भी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित होना चाहिए।

अध्याय-गा

डिपोजिटरी में धारित बैंक की प्रतिभूतियां

47. डिपोजिटरी और बैंक के बीच करारः- बैंक स्वयं द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संबध में उसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी एक वा अधिक डिपोजिटरी जैसा कि डिपोजिटरी अधिनियम 1996 की धारा 2858 में परिभाषित हो, के साथ करार सम्पन्न कर सकता है।

48 से 55 छोड़े गए हैं ।

अध्याय । ए

शेयरधारकों की बैठकें

- 56. वार्षिक सामान्य सभा बुलाने की सुवना:-
 - (i) बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक या किसौं अधिकारी जो कि स्केल UI से नीचे का न हो या कंपनी सचिव झारां हस्ताक्षरित शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य सभा बुलाने विषयक नोटिस भारत में व्यापक तौर पर प्रसारित होने वाले कम से कम दो देनिक समाचारपत्रों में उक्त सभा के कम से कम पूरे इक्कीस दिन पहले प्रकाशित कराया जाएगा।

(ii)

प्रत्येक ऐसे नोटिस में इस प्रकार की सभा के समय , तिथि एवं स्थान और उक्त सभा में संपन्न किए जाने वाले कार्य का भी उल्लेख होगा। (iii) ऐसी सभा का समय और तिथि मण्डल जारा यथानिर्धारित रूप में होंगे। सभा बेंक के प्रधान कार्यालय के स्थान पर आयोजित होगी।

57. असाधारण सामान्य समाः-

- () बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपरिधति में कार्यपालक निदेशक या उसकी अनुपरिधति में बैंक के निदेशकों में से कोई भी एक निदेशक शेयरधारकों की असाधारण सामान्य सभा बुला सकते हैं , बशतें मण्डल ज़ारा उन्हें इस प्रकार के निर्देश दिए गए हों या ऐसी सभा के लिए या तो केन्द्रीय सरकार से या शेयर रखने वाले एवं अन्य शेयरधारकों से इस प्रकार की सभा बुलाए जाने का ऐसा अधियावन प्राप्त हुआ हो जिस पर कुल मिलाकर समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के कम कम दस प्रतिशत इस्ताक्षर हो ।
- (ii) उप विनियम (i) में उल्लिखित उक्त अधियावन में उस प्रयोजन का उल्लेख होगां, जिसके लिए असाधारण सामान्य सभा बुलाई जानी आवश्यक है, किंतु उसमें एक ही तरह के ऐसे कतिपय प्रलेख लगाए जा सकेंगे जिनमें से प्रत्येक किसी एक या उससे अधिक अधियावनकर्ताओं के द्वारा हस्ताक्षरित हों।
- (iii) जहां दो या उससे अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी शेवर का धारण करते हों, वहां किसी एक या उसमें से कुछेक झारा हस्ताक्षरित सभा बुलाने के अधियाचन या नोटिस का इस विनियम के प्रयोजन से वही असर एवं प्रभाव होगा जैसे कि वह उन सब के झारा हस्ताक्षरित हो।
- (iv) उक्त असाधारण सामान्य सभा के समय, तिथि एवं स्थान का निर्धारण मण्डल ज्ञारा किया जाएगा। बशतें कि केन्द्रीय सरकार या अन्य शेयरधारकों ज्ञारा अधियाचन पर बुलाई गई असाधारण सामान्य सभा अधियाचन की प्राप्ति के अधिक से अधिक 45 दिनों के भीतर बुलाई जाए।
- ••• यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपरिधाति में कार्यपालक निदेशक , जैसी भी रियति हो, उप विनिधम (1)झारा यथापेक्षित सभा उप विनियम (10)के परतुक में विनिर्दिष्ट

अवधि के भीतर नहीं बुलाते, तो अधियाचकों द्वारा स्वयं ही अधियाचन की तिथि से तीन । माह के भीतर सभा बुलाई जा सकेगी ।

बशतें कि इस उप विनियम की कोई भी बात उपर्युक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व चिन्हित रूप से बुलाई गई सभा उक्त अवधि की समाप्ति के परवात वाले किसी दिन के लिए स्थमित किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

(01) अधियाचकों झारा उप विनियम (0)के तहत बुलाई गई सभा जहां तक संभव हो सके उस सीमा तक उसी विधि से बुलाई जायेगी, जिस विधि से मण्डल झारा अन्य सामान्य सभाएँ आयोजित की जाती है।

58. सामान्य सभा की गणपूर्ति:--

- (1) रोयरधारकों की किसी सभा में तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी कार्यवाही आरंभ किए जाने के समय इस प्रकार की सभा में मतदान करने के पात्र कम से कम पाँच रोयरधारक मणपूर्ति के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो।
- (11) यदि किसी सभा के आयोजन के लिए, नियम समय के उपरांत आधे घण्टे के भौतर गणपूर्ति के लिए आवश्यक शेयरधारक उपस्थित न हो तो केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों के अधियाचन द्वारा बुलाई गई सभा के मामले में उक्त सभा बर्खास्त मानी जाएगी।
- (iii) किसी अन्य मामले में यदि, किसी सभा के आयोजन के लिए, नियत समय के उपरांत आंधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति के लिए आवश्यक शेयरधारक उपस्थित न हो तो उक्त सभा आगामी सप्ताह के उसी दिन, उसी समय एवं स्थान के लिए अथवा किसी ऐसे अन्य दिन तथा अन्य ऐसे समय एवं स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी, जो अध्यक्ष निर्धारित करें । यदि स्थगित सभा में उक्त सभा के लिए निय समय के आंधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति के लिए आवश्यक शेयरधारक उपस्थित न हो तो वे शेयरधारक , जो व्यक्तिगत रूप से या मुख्तार झारा या विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि झारा उक्त सभा में उपस्थित हों, गणपूरक होंगे तथा वे, जिस कार्यवाही को करने हेतु सभा आयोजित की गई है, उसे समयन्त कर सकेंगे ।

शतें यह है कि किसी भी वार्षिक सामान्य सभा का स्थेगन उस तिथि के लिए नहीं किया जाएगा जो उक्त तिथि के बाद आती हो जिसके भीतर उक्त अधिनियम को धारा 10% क% (1) के अनुसार ऐसी वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन आवश्यक है और उक्त सभा के आगामी सप्ताह के उसी दिन के लिए स्थगित किए जाने के फलस्वरूप ऐसा होने वाला हो , तो वार्षिक सामान्य सभा स्थमित नहीं की जायेगी, किंतु सभा की कार्यवाही बंदि गणपूर्ति के लिए आवश्यक उपस्थिति रहती है तो सभा के लिए नियत समय से एक 100 GU2008 धण्टे के भीतर या उस समय से एक धण्टे की तत्काल समाप्ति के पश्चात आरंभ कर दी जाएगी तथा ऐसे समय पर ऐसे शेयरधारक जो व्यक्तिगत रूप से या मुख्तार झारा या विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि झारा उपस्थित होंगे, गणपूर्ति करेंगे ।

59. सामान्य सभा के सभापति

- (i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपरिथति में निदेशकों में से कोई भी एक ऐसा निदेशक जो सामान्यतया या किसी विशिष्ट सभा के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक डारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किए गए हों, उक्त सभा के सभापति डोंने और यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या इस प्रयोजन के लिए-प्राधिकृत कोई अन्य निदेशक उपस्थित न हो तो उक्त सभा वहां उपस्थित किसी अन्य निदेशक या उक्त बैठक के सभापति के रूप में चुनाव कर सकती है।
- (ii) सामान्य सभा के सभापति सामान्यसभा की कार्यविधि को नियंत्रित करेंगे तथा उन्हें विशेष रुप से यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह शेयरधारकों द्वारा सभा को संबोधित किए जाने के क्रम का निर्धारण करे, भाषण के लिए समय सीमा निर्धारित करें, उनकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त विद्यार विनिमय हो जाने के उपरांत समापन की व्यवस्था दें तथा सभा को स्थगित करें।

60. सामान्य सभा में उपस्थित रहने के पात्र व्यक्ति:--

- (1) बैंक के समस्त निदेशक एवं सभी शेयरधारक उप विनियम (11)के प्रावधानों के अधीन सामान्य सभा में उपस्थित रहने के पात्र होंगे।
- (ii) सामान्य सभा में उपस्थित रहने वाले किसी भी शेयरधारक % जो केन्द्रीय सरकार के रूप में न हो % या किसी भी निदेशक के लिये उसकी पहचान तथा उसके मताधिकार का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि वह सभापति झारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उस फार्म पर हस्ताक्षर करें तथा उसे बैंक को सौंपे, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित विवरण हो:

* क * उसका पूरा नाम और पंजीकृत पता

*खः उसके शेयरों की प्रभेदक संख्याएँ

*ग श्रे वह मतदान करने का पात्र है या नहीं उन मतों की संख्या जिनका वह व्यक्तिगत रूप से या मुख्तार झारा या विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हकदार है।

सामान्य सभाओं में मतदानः

(1) किसी भी आमान्य सभा में सभा के मतदान हेन्नु किसी भी संकल्प पर, जब तक कि मतदान की मांग न की जाए, निर्णय हाथ उठा कर लिया जाएगा।

- (11) उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों को छोडकर सामान्य सभा में प्रस्तुत प्रत्येक मामले पर मतों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- (iii) जब तक कि उप विनियम (i) के अधीन मतदान की मांग न की जाए, सभा के सभापति झारा इस आशय का धोषणा पत्र कि संकल्प को हाथ उठाकर या तो सर्व सम्मति से या फिर किसी विशिष्ट बहुमत झारा पारित किया या नहीं किया गया है तथा कार्यवाही के कार्यवृत वाली बही में उक्रत आशय की प्रविष्टि की मई हो, उक्त तथ्य का, ऐसे संकल्प के पक्ष या विपक्ष के पडे मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना निर्णायक साक्ष्य होगा।
- (iv) किसी संकल्प पर हाथ उठाकर किए गए क्तदान के परिणाम की द्योषणा किए जाने के पूर्व <u>या उसके उपरात</u> के समापति द्वारा स्वयं अपने प्रस्ताव <u>पर मतदान कराए जाने का आदेश</u> दिया जा सकता है तथा उनके द्वारा मतदान कराये जाने का ऐसा आदेश किसी शेयरधारक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ऐसे शेयरधारकों या मुख्तार द्वारा उक्त प्रयोजन से की जाने वाली मांग पर दिया जाएगा जो बैंक में ऐसे शेयरधारित करते हों जे। संकल्प पर मतदान का ऐसा अधिकार प्रदान करता हो जो संकल्प के संबंध में कृल मतदान अधिकार के पांचवें हिस्से से कम न हो।
- (v) मतदान की मांग किसी भी समय मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों झारा वापस ली जा सकेगी।
- (vi) सभा के स्थागन या उसके सभापति के चुनाव के संबंध में मतदान हेतु की गई मांग पर तुरंत विद्यार किया जाएगा।
- (vii) किसी अन्य मुंददे पर की गई मतदान की मांग पर सभा के सभापति के निर्देशानुसार ऐसे समय विचार किया जाएगा जो उस समय से अडतालीस धण्टों से बाद का न हो. जिस समय उक्त गांग की थी।
- (viii) कि.मी. व्यक्ति के मतदान करने की योग्यता तथा मतदान की स्थिति में कोई व्यक्ति कितने मत देने में सक्षम है , इस संबंध में सभा के सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

61 (क) मतदान की संवीक्षा

(1) जहां भी मतदान होना हो, बैठक का अध्यक्ष मतदान के समय दिए गए मतों की संवौधा हेतु तथा उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दो संवीक्षाकारों की नियुक्ति कर सकता है । (11) मतदान के परिणाम ओषित किए जाने से पूर्व किसी भी समय बैठक का अध्यक्ष संवीक्षाकरों की हटा सकता है और ऐसे निष्काषित संवीक्षाकारों के रिक्त स्थान को भर सकता है ।

- (iii) इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त ऐसे दो संवीक्षाकरों में से एक शेयरधारक (जो बँक का कर्मचारी या अधिकारी न हो) होगा जो बैठक में उपस्थित रहेगा बर्शते कि वह शेयरधारक उपलब्ध हो और नियुक्ति के लिए इच्छूक हो ।
- 61 (ख) मतदान करने तथा उसके परिणाम निकालने का दंग -
- (i) बैठक के अध्यक्ष को मतदान किए जाने के ढंग को नियमित रूप से करवाने का अधिकार होगा ।
- (ii) मतदान के परिणाम को बैठकों के विनियमों, जिनके तहत मतदान किया गया हो, में दिए भए निर्णयों के अंतर्गत माना जाएगा ।
- 62. सामान्य सभा के कार्यवृत्तः 👘 🚽
 - (i) बैंक सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उक्त प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली बही में दर्ज कराएगा।
 - (ii) जिस सभा में उक्त कार्यवाहियां संपन्न हुई थी, उसके सभापति या आगामी उत्तरवर्ती सभा के सभापति झारा हस्ताक्षरित माना गया ऐसा कोई भी कार्यवृत्त उन कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा।
 - (iii) जब तक यथा सिद्ध न हो जाए, ऐसी प्रत्येक सामान्य सभा, जिसकी कार्यवाहियों के संबंध में इस प्रकार कार्यवृत्त तैयार किए गए हों को विहित रुप से बुलाई गई और आयोजित सभा माना जाएगा तथा उसमें संपन्न सभी कार्यवाहियों को विहित रुप से संपन्न कार्यवाहियों माना जाएगा।
- (iv) किसी शेवरधारक झारा कार्यवृत्त पुस्तिका के निरीक्षण हेतु या किसी विशेष बैठक के कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त करने हेतु किए गए लिखित आवेदन पर बैंक उस शेवरधारक की निरीक्षण करने या कार्यवृत्त की प्रति, जैसा भी मामला हो आदेश दे सकता है ।

अध्याय 🗸

निदेशकों का चुनाव

सामान्य सभा में छुने जाने वाले निदेशक

(1) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा #3* के खंड (1) के अधीन किसी निदेशक का चुनाव केन्द्रीय सरकार को छोडकर रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों झारा बैंक की सामान्य सभा में अपने बीच के शेयरधारकों में से किया जाएगा।

(ii) जहां किसी निदेशक का चुनाव किसी सामान्य सभा में किया जाता हो तो सभा बुलाए जाने वाले नोटिस में निर्देशक के चुनाव से संबंधित तोटिस में भी समावेश किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक नोटिस में इस बात का उल्लेख होगा कि कितने निदेशकों का चुनाव किया जाना है और उन रिक्तियों के विवरण भी दिए जाएंगे जिनके संबंध में चुनाव होना है।

64. शेवरधारकों की सूची:

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अधीन किसी निदेशक के सुनाव के प्रयोजन डेतु रजिस्टर में दर्ज ऐसे शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके झारा निदेशक का सुनाव होता है।

(11) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम उनके पंजीकृत पते. उनके झारा धारित शेयरों की संख्या और प्रभेदक संख्याओं के साथ जिस तारीख को वे शेयर पंजीकृत किए गए थे वड तिथि, जिस सभा में जुनाव संपन्न होगा उनके लिए नियत तिथि को वे जितने मतों के हकदार होंगे, उन मतों की संख्या शामिल होगी और उक्त सूची की प्रतियां सभा के लिए नियत तिथि के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व मण्डल या प्रबंधन समिति झारा नियत मूल्य पर आवेदन किए जाने पर प्रधान कार्यालय में खरीद के लिए उपलब्ध रहेंगी।

65. सुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकनः

(1) निदेशक के रुप में चुनाव के लिए किसी अभयर्थी का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि

ते के बह बैंक में एक सो से कम शेयर धारण करने वाला शेयरधारक न हो।

8-109 GI/2008

*खः उक्त अधिनियम के तहत या उक्त योजना के अधीन नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वह निदेशक बनने के लिए अयोग्य न करार दिया गया हो।

* ग* उसने मांग धनराशि के भुगतान के लिए नियत तिथि को या उसके पूर्व अपने झारा चाहे एकल या अन्यों के साथ संयुक्त रुप से धारित बैंक के शेयरों से संबंधित समस्त मांग धनराशियों का भुगतान कर दिया है।

#वाश नामांकन लिखित रूप में उक्त अधिनियम के तहत निदेशकों का चुनाव करने के पात्र कम से कम एक सौ शेयर धारकों जारा या उनके विहित रूप से मठित मुख्तार जारा हस्ताक्षरित हो, शर्त यह है कि किसी ऐसे शेयरधारक जो कंपनी हो, जारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प जारा किया जाना चाहिए और जहां वह इस प्रकार किया गया हो वहां-वह संकल्प जिस सभा में पारित किया गया था, उस सभा के सभापति जारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित उक्त संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

* उक्त नामांकन किसी न्यायधीश , मजिस्ट्रेट, बीमा पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उक्त अभ्यर्थी ज़ारा हस्ताक्षरित इस आशय के धोषणापत्र के साथ होगा कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने का इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमों के तहत किसी भी रूप में निदेशक बनने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया गया है।

(ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह सभी सम्बद्ध प्रलेखों के साथ न प्राप्त हो, सभी प्रकार से परिपूर्ण न हो तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले किसी कार्य दिवस को प्राप्त न हो जाए।

नामाकनों की जांच:

(1) नामांकनों की, उनके प्राप्त होने के लिए नियत तिथि के बाद वाले पहले कार्य दिवस को जांच की जाएगी तथा किसी नामांकन के वैध न पाए जाने की स्थिति में उसे वैध न पाए जाने के कारणों को रिकार्ड किए जाने के उपरांत अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि चुनाव झारा भरी जाने वाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए एक ही वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामांकित अभ्यर्थी को तुरंत चुना हुआ मान लिया जाएगा तथा उसका नाम और पता इस प्रकार चुने हुए निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उक्त प्रयोजन के लिए बलाई गई थी तो वह रदद हो जाएगी। (ii) ज्ञुनाव कराए जाने की स्थिति में रादि वैध नामंकन जुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है तो सबसे अधिक मत पाने वाले अभ्यर्थी को जुना हुआ माना जाएगा।

(iii) किसी विद्यमान रिवित को भरने के लिए सुने गए निदेशक के बारे में यह माना जाएगा कि उसने उस तिथि से पदभार संभाला है जो उस दिन के बाद हो जिस दिन वह चुना गया या उसे चुना हुआ माना गया था।

67. जुनाव विवादः

• जुने हुए माने गए या धोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के संबंध में या किसी निदेशक के सुनाव की वैधता के संबंध में किसी प्रकार का संदेह या विवाद उठने की स्थिति में अभ्यर्थी या शेयरधारक के रूप में हितबद्ध कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सुनाव में मतदान करने का पात्र हो, ऐसे सुनाव के परिणाम की धोषणा किए जाने के सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकता है तथा उक्त सूचना में सुनाव की वैधता के संबंध में उठने वाले संदेहों और विवादों के आधारों के सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएगा।

(11) उप विनियम (1) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपरिधति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को निर्णय हेतु तुरंत उप समिति को भेजेंगे, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1838 के खण्ड अख एवं अग8 के अधीन नामित में से किन्हीं दो निदेशकों का समावेश होगा।

(iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित उक्त समिति ऐसी जांच करेगी जो उसे आवश्यक लगे और यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध चुनाव था तो वह घोषित चुनाव परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध चुनाव नहीं था तो वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर नया चुनाव कराए जाने सहित ऐसे आदेश जारी करेगी और ऐसे निदेश देगी जो उन परिस्थितियों में समिति को न्यायोचित लगे।

(iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति झारा किया गया कोई भी आदेश एवं निद्रेश निर्णायक होगा

[भाग II]---खण्ड 4.

68. मताधिकारों का विनिश्चियन

(1) उक्त अधिनियम की धारा 3 #2ड# में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को जिसे सामान्य सभा के पूर्व रजिस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है , ऐसी सभा में हाथ उठा कर एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मतदान की स्थिति में उसके झारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत का अधिकार प्राप्त होगा।

(11) उक्त अधिनियम की धारा 3 #23% में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्वेक रेग्रेस्थारक को , जो उपयुक्तानुसार मतदान करने का पात्र है, जो कंपनी की हैसियत से नहीं व्यक्तिगत रूप से अथवा मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो, अथवा जो कंपनी की हैसियत से विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो हाथ उठा कर एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मतदान की स्थिति में इसमें इसके उत्पर उप विनियम (1) में यथावर्णित उसके झारा धारित प्रत्येक रेयर के लिए एक मत देने का अधिकार होगा।

रुपष्टीकरणः इस अध्याय के लिए कंपनी से अभिप्राय है कोई भी निगमित निकाय ।

(III) सामान्य सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति * चाहे वह शेयरधारक हो अथवा नहीं * को अपने मुख्तार के रूप में अपने स्थान पर सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने हेतु नियुक्त करने के हकदार होंगे, किन्तु इस प्रकार नियुक्त मुख्तार को उक्त सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि झारा गतदानः

(1) केन्द्रीय सरकार या किसी कंपनी के रूप में, जैसी भी स्थिति डो, कोई शेयरधारक संकल्प के जारा शेयरधारकों की किसी भी साभान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति : इन विनियमों में जिसे "विडित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि" कहा गया है: केन्द्रीय सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता 5 उस कंपनी की ओर से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने का इकदार डोगा. जैसे कि वह बेंक का एकल शेयरधारक हो। इय प्रकार दिया गया प्राधिकार वेकलियक रूप से दो व्यक्तवों के पक्ष में डी सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी एक ज्यक्ति केन्द्रीय सरकार/व्यक्तियों के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

3653

(ii) कोई भी व्यक्ति बैंक के रेग्ररधारकों की किसी सभा में किसी कंपनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित नहीं रहेगा या मतदान नहीं करेगा, जब तक कि उसे विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने विषयक संकल्प की एक ऐसी प्रति जो जिस सभा में वह पारित किया गया था, उस सभा के सभापति झारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती।

70 मुखार

(1) कोई भी मुख्तारनामा तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि किसी एकल शेयरधारक के मामले में वह स्वयं उसके झारा या लिखित रूप में विहित ढंग से प्राधिकृत उसके मुख्तार झारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में, वह रजिस्टर में प्रथम नामोलिखित शेयरधारक झारा या लिखित रूप में विहित ढंग से प्राधिकृत उसके मुख्तार झारा हस्ताक्षरित न हो या किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी झारा या लिखित रूप में विहित ढंग से प्राधिकृत मुख्तार झारा हस्ताक्षरित न हो।

गतें यह है कि कोई भी मुख्तार लिखत किसी ऐसे शेवरधारक झारा पर्याप्त रूप से इस्ताक्षरित होगा जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो बशतें कि उसका चिन्ह उस पर लगा हो और जो किसी न्यायाधीश मजिस्द्रेट, बीमा पंजीयक या उप पंजीयक अथवा अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक के किसी अधिकारी झारा अनुप्रमाणित हो । (0) कोई भी मुख्तार तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विहित रूप से मुद्रांकित न हो तथा उसकी एक प्रति मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार इ यदि कोई होई जिसके तहत वह इस्ताक्षरित हो या उस मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो सरकारी नोटरी या मजिस्द्रेट झारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, के साथ उक्त सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यानय में जमा की गयी हो, बशतें कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो । (0) कोई भी मुख्तार लिखत तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि वह फार्म "ख" में न हो । (0) बैंक के पास कोई भी मुख्तार लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगा । (०) बैंक के पास कोई भी मुख्तार लिखत रूप से मंजूर किए गए मुख्तार लिखत के मानले में एक से अधिक फार्म नहीं निष्पादित किए जाएंगे ।

(01) इस विनियम के अधीन मुख्तार लिखत मंजूर करने वाला जिस सभा से इस प्रकार का लिखत संबंधित हो उस सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान का पात्र नहीं होगा।

(000) ऐसा कोई भी व्यक्ति विहित रूप से पाधिकृत प्रतिनिधि या मुख्तार नहीं नियुक्त किया जाएगा जो बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो। (^

3654

पंजाब एण्ड सिंध बैंक बैंक हाऊस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110125

फार्म "क"

शेवर अंतरण फार्म * विनियम 17 का उप विनियम (i) देखें *

अधोलिखित प्रतिफल के अधीन "हस्तांतरणकर्ता श्रमणश्च एतद्झारा नीचे नामोल्लिखित "इस्तांतरितिश्वहस्तांतरितियों श्वको नीचे वर्णित शेयर उन्ही श्वतीं के अधीन हस्तांतरित करता है/करते हैं जिन ' पर उक्त शेयर इस समय हस्तांतरणकर्ता श्वींश्वहारा धारित और

हरतातरिती श्रमण शएतद्झरा उपर्युक्त सतीं के अधीन उक्त सेयर स्वीकार एवं धारण के लिए सहमत है हैं।

कंपनी का प्	रा नाम	उस मान्यता प्राप्त शेयर बाजार का नाम, जहां इनका संव्यवहार होता है * यदि कोई हो*				
इंक्विटी रोग	रों का विवरण	ین شاه این اور این اور این اور این اور این	نده می اور می بود بی بود بی بود اور	این کا سی بین ماه بود سی بود.	جېر، ۋېك 400 مىل 400 مىل 400 م	
 अंकों में	संख्या शब्दों में	प्रतिफल श्र अंको में श्र	प्रतिफल श्र शब्दों में श		2 100 and 200 and 200	
प्रभेदक संख्य समनुरुपी प्रम संख्याएँ			w _ _ _ _			
संबंधित प्रमा हस्तांतरणक	 णपत्र सं७ र्ताःओं ः विक्रेताःओंः	पंजीव्				
का विव	रण	1.		1.		
प्रा/पूरे ना	म	2.		2.		
		З.		З.		
		4.		4.	2	

3	6	5	5	

अतुप्रमाणन में एतदहारा इसमें उलि	ल्लखित हस्तांतरणकर्ता	* ओं * के हस्त	।क्षर ॥ रों ॥ को	अनुप्रमाणित करता/		
करती हूं ।				.		
• •	-		साक्षी के हस्ताव			
	साक्षी			का नाम और पता		
हस्ताक्षर		بالجابة الجاري علمية ماللته مليته عليهم	یکی خاند بلین میں میں ہیں ہیں ہیں اور میں میں میں اور			
नाम पता⁄मुहर		، میں دین کی نظار ہوتے ہیں ہیں ہیں۔ اندا سے چھ جے سے نیاد ہیں ہیں ہیں ہیں	 पिन			
-	रतियों * का⁄के पूरा⁄		ाँ। हे के विवरण			
पूरे नाम	······	1.		1.		
در این که معند در در در میکرد و این میکرد .		2.	all gana	Ź.,	aurice and an arrived the second s	
~		3.		3.		
व्यवसाय	पता		पिता	′पति का नाम		
1.	nga man anga anna anga man man man ang anga ang man ang ang ang ang ang ang ang ang ang a	1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -	، عليه عال الله من عالم الله الله الله الله الله الله الله ا		999 448 999 999 999 990 990 990 990 990 990 99	
2.			,	nte des est est est un an an an an an an an est est est an		
3.	हरा कुल्क स्थान स्थल कुल्क उनके जोवे स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल	ar ann ann 2000 2007 2007 2007 2008 2008 2007 2007	ه چپوپرهایی هند. دست بویو اینده معنه هندی شدی مربع بویو			
موجاد که ۱۵ هده موجد مکال ۱۹۵۹ ماین ماین ماین این این مریز برین مریز برین م			- <u> </u>		- سه بدیر بینه وی وی وی به بنه بنه به ه	
	<u> </u>	_				
	रेतियों * का/के विद्यमा	4		गए टिकट का मूल्य 		
फोलियो,यदि कोई हो नामों के उसी क्रम में	······································		60			
आज दिनांक		ो हजार	، ۱۹۹۵ - ۲۰۰۹ ۱۹۹۵ - ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ - ۲۰۰۹ ۱۹۹۹ - ۲۰۰۹ ۱۹۹۹ - ۲۰۰۹ ۱۹۹۹ - ۲۰۰۹ ۱۹۹۹ - ۲۰۰۹ ۱۹۹۹ - ۲۰۰۹ ۱ مربعه محمد جربر روبر مربعه	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
केवल कार्यालय प्रयोग		~	<u> </u>	 نـ مـــ		
जाचकर्ता			लियो	कंपनी कें		
हस्ताक्षर मिलानकतो-	ر - حجر جیس نیپز، نکن دین عرب این جی مید این های عن این ۱۹۹۹ هم		•	\$ <u></u>		

हरताक्षर रजिस्टर नंख	ह	- स्तातरिती * इस्तात	रे यों %	1
में दर्ज	के	नमूना हस्ताक्षर	2	at Mara ann ann ann ann ann ann ann ann
अनुमोदन की तिथि			3,	اللغة هند بني ملك عدد عن الله عن الله عن الله عن

अनुप्रमाणन हेतु अनुदेशः

जहां आवश्यक हो अअंग्रुठे का निशान, चिन्ह, हस्ताक्षर में भिन्नता आदिश का अनुप्रमाणन किसी मजिस्ट्रेट , नोटरी पब्लिक, या विशेष कार्यकारी दण्डाधिकारी या सरकारी पद पर कार्यरत इसी प्रकार के ऐसे प्राधिकारी जो अपने पद की मोहर का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो अथवा किसी ऐसे मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के सदस्य, जिसके माध्यम से शेयर प्रारंभ किए गए हों या हस्तातरणकर्ता के बैंक के प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए।

टिप्पणी:

नामों की रबड मोहर वरेष्य रूप से एक सीधी रेखा में लगाई जानी आवश्यक है। इस प्रक्रिया में कालक्रमिक आधार अपनाया जाना चाहिए। जहां सुपुर्दगी किसी समाशोधन गृह के सदस्य बैंक झारा की गई हो, वहां दलाल की निकासी संख्यां का उल्लेख किया जाना चाहिए।

सुपुर्देगी दलाल या निकासी सदस्य का नाम दिनांक

प्रशासन पत्र

मुख्तारनामा/वजीयत /मृत्यु प्रमाण पत्र

------कंपनी के पास पंजीकृत संध ------दिनांक-------

दलाल, बैंक कंपनी या रोयर बाजार के समारोधन गृह के हस्ताक्षर आयक्षर नहीं।
10-109 GI/2008

......

3	6	5	7	

.....

	जमाकताः
	पूरा पताः
	دهد، «سی چی دور اور آبین ایما ایما چی دور این ای سی چی کام ایس چی کام مید «بی کام کان کام ایما ایک مین کان کام می دور دور ایما می می دور .
	शेयर प्रमाण पत्र निम्नलिखित को वापिस किए
	जाने हैं अंउन नामों और पतों का उल्लेख करें जिन
	पर प्रमाणपत्र वापिस किए जाने अपेक्षित हों 🛛
	नाम और पता
	المواد مواد مرید و المار مواد مرید و المار میں المار کی کی مواد میں کر المار کی مرید میں المار میں میں میں الم
	 शेयर हस्तांतरण मोहर
	- फार्म "ख"
प्रतिनिधि का	फार्म
¥ विनियम 70 का उप वि	
	लेयो संथ
	शेयरधारक झारा भरा जाए
मैं /हम राज्य के	
का/ के निवासी पंजाब	
- रोग्रस्धारकों के रूप में एतद्वारा	
रियतका/के निवासी श्री	को अथवा उनकी अनुपरिधति
मेंजिले में	
को वर्ष 20 के	
तिथि को	
आयोजित होने वाली पंजाब एण्ड सिंध बँक के शेयरधा	रकों की सभा में और उसके किसी स्थान के
उपरांत आयोजित होने वाली सभा में मेरे/हमारे लिए त	
मेरे अपने मुख्तार के रूप में करता /करते हूं।	
हस्ताक्षरित आज दिनांक :	
- नामः	
पता	राजस्व टिकट लगाएँ
	ላ በማግ የሚያስት ነው። እና ግግ እ

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कोलकाता-700091, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. ई.पी.एफ.ओ./अपर.के.भ.नि.आ./पू.अं.ईडीएल आई (छूट प्राप्त)/151/अधिसूचना/560 (1)--सा.का......जैसाकि अनुसूची - । (इसके आगे उक्त स्थापना के रूप में संदर्भित) मे उल्लिखित स्थापना के नियोक्ता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित की धारा 17 की उप धारा (2 ए) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है ।

और जैसाकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारीगण बिना किसी पृथक अंशदान किए या प्रिमियम भुगतान किए जीवन बीमा स्वरूप जैसा अनुसूची -। में उल्लिखित है भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह (ग्रूप) बीमा योजना के अन्तर्गत हितलाभ पा रहें है जो कर्मचारी निक्षेप - सहबद्व बीमा योजना, 1976 (इसके आगे जैसाकि उक्त योजना में संदर्भित है) के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से बेहतर हैं ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2ए) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची -11 में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद द्वारा अनुसूची -1 में उल्लिखित प्रत्येक स्थापना को उनके समक्ष अनुसूची -1 में उल्लिखित अवधि के लिए उक्त योजना से छूट प्रदान करते हैं 1 क्रमांक 1 से 5 तक की उक्त स्थापनाओं के संबंध में छूट उक्त स्थापना के समक्ष दर्शाई गई पूर्व अधिसूचना संख्या एवं तिथि के क्रम में छूट का विस्तार है 1 -----

1 . .

. •

3659

अनुसूची - ।

क्रमांक	पूर्व अधिसूचना	स्थापना का नाम तथा कोड	छूट/विस्तार	अनुमोदित योजना
	संख्या तथा तिथि	संख्या	की अवधि	ईडीएल आई के
				बदले में
1.	2/1959/डीएल	मेसर्स लैन्डिस + जीवाईआर	2406.2003	जी आई एस
	आई/छूट/89/पीटी	लि. (पूर्व नाम भीएक्सएल	से	एल आई सी आई
	-1/885दिनांक 12.	लैन्डिस एण्ड जीवाईआर लि.	23.062006	के साथ
	09.2001	(प.बं./ 11576)		
2.	2/1959/डीएल	मेसर्स हालमार्क एक्वा इक्युपमेन्ट	01.09.2002	जीआइएस
	आई/छूट/89/पीटी -	प्रा.लि.(पूर्व नाम मेमर्स हालमार्क	से	एलआइसीआई
	1/994दिनांक	इरिगेशन इक्युपमेन्ट प्रा.लि.)(प बं/	31.08.2005	के साथ
	07.05.2002	29170)		
3.	2/1959/डीएल	मेसर्स आईएफबी एग्रो	01.03.2003	जीआइएस
	आई/छूट/89/पीटी -	इन्डस्ट्रिज लि (.प.ब./23943)	े से	एलआइसीआई
	l/1002दिनांक		28.02.2006	के साथ
	15.10.2004			
4.	2/1959/डीएल	मेसर्स असम ग्रामीण विकास	01.03.2007	जीआइएस
	आई/छूट/89/पीटी -	बैंक (पूर्व नाम प्रागज्योतिष	से	एलआइसीआई
	l/1417दिनांक	गांवलिया बैंक (ए एस / 962)	28.02.2010	के साथ
	29.12.2004			
5	2/1959/डीएल	मेसर्स श्री ऑटोमोबाइल्स प्रा.	24.06.2006	जीआइएस
	आई/छूट/89/पीटी -	लि.(ए एस / 1828)	से	एलआइसीआई
	।/1417दिनांक .	· .	23.06.2009	के साथ
	29.12 .2004			
6.	नई	मेसर्स गोल्डेन ट्रस्ट फिनांशियल	01.12.2005	जीआइएस
		सर्विसेज प.ब./34235	से 30.11.2007	एलआइसीआई
	ļ 			के साथ
7.	नई	मेसर्स स्विट्ज फूड्स प्रा.लि.	01.09.2004	जीआइएस
	×	प.बं./ 33064	से 31.08.2007	एलआइसीआई
				के साथ
8	नई	मेसर्स गोल्डेन कॉरपोरेट सर्विसेज	01.12.2005	जीआइएस
		प.ब./44714	से 30.11.2007	एलआइसीआई
			<u> </u>	के साथ
9'	नई	मेसर्स चांदमाल सरावगी एण्ड	01.11.1989	जीआइएस
		कंपनी ए एस /338	से 31.10.2007	एलआइसीआई
				के साथ

z.

٦'

अनुसूची -।।

 प्रत्येक उक्त स्थापना के नियोक्ता (इसके आगे नियोक्ता के रूप में संदर्भित) समय समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास रिटर्न जमा करेंगे तथा लेखा का रखरखाव निरीक्षण के लिए सुविधाएं मुहैया करेंगे ।

2. नियोक्ता उक्त अधिनियिम की धारा 17 की (क) उप धारा (2ए)के खण्ड के अन्तर्गत समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार निरीक्षण प्रभार का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर करेंगे ।

3. लेखा का रखरखाव, रिटर्न जमा करना, बीमा प्रिमियम का भुगतान ,लेखा स्थानांतरण, निरीक्षण प्रभार इत्यादि सहित ग्रूप इन्श्र्योरेंस स्कीम के संचालन में हुए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगें ।

4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित तथा समय समय पर संशोधित ग्रूप इन्श्योरेंस स्कीम के नियमों की प्रति अधिकांश कर्मचारियों की भाषा में योजना की मुख्य - मुख्य बातों के अनुवाद सहित स्थापना की सूचनापटट पर प्रदर्शित करेंगे ।

5.यदि कोई कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि के या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त स्थापना के भविष्य निधि के पहले ही सदस्य हैं, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोक्त उसे ग्रूप इन्श्योरेंस स्कीम के सदस्य के रूप में तुरंत दर्ज् करेंगे तथा उनसे संबंधित आवश्यक प्रिमियम का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम में करेंगे ।

6. उक्त योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को देय हितलाभ में यदि वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में प्रूप इन्श्र्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों को देय हितलाभ में बढोत्तरी की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा किया जाएगा ताकि ग्रूप इन्श्र्योरेंस स्कीम में प्राप्त हितलाभ उक्त स्कीम मे देय हितलाभ से बेहतर रहे ।

7. ग्रूप इन्स्योरेंस स्कीम में अन्तर्निहित किसी भी बात के होते हुए ,यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उन्हें देया राशि उक्त स्कीम ,यदि वह उसके अन्तर्गत कवर्ड हुए होते,के अन्तर्गत देय राशि से कम हुई तो नियोक्ता उस कर्मचारी द्वारा नामित नाम निर्देशितों / कानूनी उत्तराधिकारी को उन दोनों राशि के अन्तर की भरपाई क्षतिपूर्ति के रूप में करेगा ।

8. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना ग्रूप इन्स्योरेंस स्कीम के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगां और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर विपरीत असर पड़ने की संभवना होगी नियोक्ता कर्मचारी को उनकी राय स्पष्ट करने का उचित मौका देगा ।

9. अतः किसी कारण से यदि उक्त स्थापना के कर्मचारी उक्त स्थापना द्वारा पहले से अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रूप इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत कवर्ड नहीं है या इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियो को देय हितलाभ किसी भी प्रकार से कम किए जातें हैं तो छूट को समाप्त कर दिया जा सकेगा । 10. जहाँ किसी भी कारण से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर नियोक्ता प्रिमियम इत्यादि जमा नही करते हैं और पॉलिसी समाप्त हो जाती है तो ऐसे मे भी छूट को रद्व कर दिया जाएगा !

11. नियोक्ता द्वारा प्रिमियम के भुगतान में यदि किसी प्रकार की चूक होती है तो छूट प्राप्त होने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत कवर्ड होने पर जो बीमा हितलाम दिए जातें वे सभी हितलाम मृतक सदस्य के नाम निर्देशितों या कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उस नियोक्ता की होगी ।

12. ग्रूप इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत कवर्ड सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम यह सुनिश्चित करेगा कि मृतक सदस्य द्वारा नामित नाम निर्देशितों , कानूनी उत्तराधिकारी को उनके विधिवत भरे दावे की प्राप्ति से एक माह के भीतर हर हाल में बीमित राशि का शीध्र भुगतान हो ।

> एस. डी. सिंह सहायक भविष्य निधि आयुक्त (पूर्वी अंचल)

٦ì

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

जयपुर, दिनांक 14 मई 2008

सं. 15-वी-34-11/4/03-स्थापना--

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10–ए के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नवत् स्थानीय समितियों का पुर्नगठन किया है:–

स्थानाय सामात, जयपुर			
क.स.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10ए
1.	सम्पर्क अधिकारी एवं व.चि.अ. प्रभारी (लीव रिजर्व) कराबी निदेशालय, जयपुर	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, जयपुर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी कराबी औषधालय नं. 9, जयपुर	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री एस.एम. सर्राफ, मै० सर्राफ गारटेक्स लि0, बी117, रोड़ नं. 9 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
5.	श्री आर.एन. कौशिक, मै० नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री, खातीपुरा रोड़, जयपुर	नियोजक प्रतिनिधि	1 (ডী)
6.	श्री दिवाकर शर्मा, जिला अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, जयपुर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
7.	श्री सूरजभान सामोदा, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, जयपुर	अमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
8.	श्री रामोतार शर्मा, (इंटक) पावर हाउस, मजदूर मैदान, जयपुर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
9.	का0 प्रेमजी, स्वामी कुमारानन्द भवन, हथ्रोई किले के पास, जयपुर (एटक)	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नेहरू पैलेस, जयपुर	सदस्य सचिव	1 (एफ)

स्थानीय समिति, जयपुर

स्थानीय समिति, जोधपुर

क.सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा
			(सामान्य) विनियम
			1950-10
1.	अधीक्षक, कराबी चकित्सालय, जोधपुर	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, जोधपुर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी,	सदस्य	1 (सी)
	कराबी औषधालय, नं.—2, जोधपुर		
4.	श्री कमल मेहता, अध्यक्ष, क्वालिटेक	नियोजक प्रतिनिधि	1 (ডী)
	मेटल इण्डस्ट्रीज, सै0−11∕ई,		
	एमआईए, बासनी, फैज–1, जोधपुर 🔅		
5.	श्री कमल सिंघवी, मानद सचिव, मै0	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
	नवज्योत इण्डस्ट्रीज, एफ–306,		
	एमआईए, बासनी, फैज–2 जोधपुर		
6.	श्री श्यामजी दहिया खाण्डा फल्सा,	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	मोहरों की पोल के पास, जोधपुर		
7.	श्री छोटू सिंह, टंकी के पास खेमे का	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	कुआ पाल रोड़, जोधपुर		
8.	श्री वेद प्रकाश शर्मा,	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	महामंत्री इंटक यूनियन मार्फत		
	एल्कोबेक्स, जोधपुर		
9.	का0 विष्णु गांधी (एटक)	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	मोहन सदन, 10/404, चौपासनी		
	हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।		
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय,	सदस्य सचिव	1 (एफ)
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जोधपुर		

. .

स्थानीय समिति, ब्यावर

क.सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10ए
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वाख्थ्य अधिकारी, ब्यावर।	अध्यक्ष	1 (ੲ)
2.	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, कराबी औषधालय, ब्यावर	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, विधि प्रबन्धक मैसर्स महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर ।	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
5.	श्री कैलाश चन्द्र मूंदड़ा, मैसर्स मूंदडा ग्राईण्डिंग, अजमेर रोड़, ब्यावर।	नियोजक प्रतिनिधि	1 (引)
6.	श्री छगन दान श्री सीमेन्ट ब्यावर जिला अजमेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
7.	श्री दिलीप सैन श्री सीमेन्ट ब्यावर जिला अजमेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
8.	श्री लक्ष्मीनारायण चौहान, अध्यक्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग उन मजदूर संघ (इंटक) जमालपुरा ब्यावर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
9.	का0 रघुनाथ वैष्णव स्वामी कुमारानन्द भवन, टैक्सटाईल लेबर यूनियन मिलगेट के सामने, मिल एरिया ब्यावर जिला अजमेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ब्यावर।	सदस्य सचिव	1 (एफ)

स्थानीय समिति, भरतपुर

क.सं.		पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10ए
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर ।	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	श्रम कल्याण अधिकारी, भरतपुर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, कराबी औषधालय नं. २ भरतपुर	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, मै० श्री ओम इण्डस्ट्रीज नईमण्डी, भरतपुर।	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
5.	श्री दीनदयाल सिंघल, श्री शंकर इण्डस्ट्रीज रीको, भरतपुर।	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
6.	श्री नरेश खण्डेलवाल अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक भरतपुर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
7.	श्री लक्ष्मण सिंह 960 / 1 दयाल बाड़ा कन्जोली लाईन भरतपुर	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
8.	श्री विद्यासागर शर्मा राजस्थान विद्युत मजदूर कांग्रेस जनाना अस्पताल के पीछे, गोपालगढ़, भरतपुर ।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
9.	का० मुरारी लाल गुप्ता, 622, राजेन्द्र नगर, भरतपुर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भरतपुर।	सदस्य सचिव	1 (एफ)

-

स्थानीय समिति, अजमेर

क.सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10ए
1.	अधीक्षक, जेएलएन मेडीकल कॉलेज, अजमेर	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, कराबी औषधालय नं. 1 अजमेर	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री एम.बी.एस. अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, जगजन प्रा.लि., एफ–22, इण्डस्ट्रीयल एरिया परबतपुरा अजमेर–305002	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
5.	श्री अरूण काबरा, निदेशक, स्टेण्डर्ड एलोयज इण्डिया प्रा. लि., एफ–26 (बी) ⁄ 27 इण्डस्ट्रीयल एरिया परबतपुरा अजमेर–305002	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
6.	श्री विजय सिंह मार्फत श्री भोलानाथ आचार्य 189 / 50 कायस्थ मोहल्ला, अजमेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
7.	श्री भोलानाथ आचार्य 189/50 कायस्थ मोहल्ला, अजमेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
8.	का० अब्दुल जब्बार वार्ड नं3, ईमाम बाड़े के पास नेता किराणा स्टोर, गांधीनगर रामनेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
9.	श्री भवर लाल नवलिया 626 / 24 'सी' जादम भवन नारीशाला रोड शक्ति नगर, अजमेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अजमेर।	सदस्य सचिव	1 (एफ)

स्थानीय समिति, किशनगढ़

क.सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10ए
1.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय, किशनगढ़	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, कराबी औषधालय किशनगढ़	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री गोपाल सोनी, सोनी हाउस लक्ष्मी नारायण विहार कॉलोनी, अजमेर. रोड़, मदनगंज किशनगढ़।	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
5.	श्री कल्याण यादव, आजाद नगर महावीर कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़।	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
6.	श्री किशोरीनाथ सिसोदिया जन स्वा0 अभि0 विभाग बिहारी पोल नया शहर किशनगढ़।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
7.	श्री सतीश शर्मा (नेताजी) राष्ट्रीय पावरलूम अमिक कांग्रेस, इन्टक वाली गली, मदनगंज किशनगढ़।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
8.	का0 गोपीकिशन साहू, रेल्वे स्टेशन चौराहे के पास, गणेश मंदिर के सामने अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़। जिला अजमेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
9.	श्री हनुमान सहाय मालोदिया पुरानी मिल क्वार्टर जयपुर रोड़, मदनगंज किशनगढ़	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, किशनगढ़।	सदस्य सचिव	1 (एफ)

स्थानीय समिति, पाली

क.सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम
			1950-10ए
1.	अधीक्षक, कराबी चिकित्सालय, पाली	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	श्रम कल्याण अधिकारी, पाली	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी,	सदस्य	1 (सी)
	कराबी औषधालय नं. 2, पाली		
4.	श्री ए.एल. महेश्वरी, मैनेजिंग	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
	डायरेक्टर, मै० महाराजा श्री उम्मेद		
	मिल्स लि0 जोधपुर रोड़, पाली।		
5.	श्री अनार चन्द मैसर्स डी०के० प्रोसेस	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
	प्रा0 लि0 ई–72 इण्डस्ट्रीयल एरिया,		
	पाली।		
6.	श्री रामनाथ सिंह सी0एस0 / 176	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	शिवाजी नगर, पाली		(0)
7.	श्री भंवर लाल मेघवाल, आनन्द नगर,	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	पाली।		
8.	श्री अमर बहादुर यादव, महामंत्री	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	राष्ट्रीय मिल मजदूर कांग्रेस मिल गेट		
	के सामने पाली मारवाड़।	0.00	
9.	श्री गंगासिंह मेडलिया मकान नं0 222	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
L	प्रतापनगर पाली मारवाड़।		
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय,	सदस्य सचिव	1 (एफ)
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पाली।		

स्थानीय समिति, उदयपुर

क.सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा
			(सामान्य) विनियम
			1950—10ए
1.	अधीक्षक, सामान्य चिकित्सालय,	अध्यक्ष	1 (ए)
	उदयपुर		
2.	सहायक श्रम आयुक्त, उदयपुर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी,	सदस्य	1 (सी)
	कराबी औषधालय नं. 1, उदयपुर		
4.	श्री विश्वजीत पानेरी, मै0 लिपिडेटा	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
	सिस्टम, मादड़ी इण्डस्ट्रीयल एरिया,		
	उदयपुर।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.	श्री आर0एस0 त्रिपाठी, मै0 रिलायन्स	नियोजक प्रतिनिधि	1 (জী)
	केमोटेक्स लि0 इण्ड0 एरिया, उदयपुर		
6.	श्री अशोक पुरोहित 32 बी ईसा जी	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	का नाम गणेश घटी, उदयपुर।		
7.	श्री मोहन सिंह कोठ्यारी, कोठ्यारियों	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	की गली, घण्टाघर, उदयपुर।		
8.	का0 सुभाष श्रीमाली कालाजी गौराजी	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	कॉलोनी, उदयपुर		
9.	श्री सतीश व्यास, 64 डायमण्ड	श्रमिक प्रतिनिधि	<u>।</u> (ई)
	कॉलोनी, गुवाणा, उदयपुर।		
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय,	सदस्य सचिव	1 (एफ)
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर।		

स्थानीय समिति, बीकानेर

क.सं.		पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10ए
1.	अधीक्षक, सरदार पटेल अस्पताल, बीकानेर	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	श्रम कल्याण अधिकारी, बीकानेर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, कराबी औषधालय नं. 1, बीकानेर	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री कन्हैयालाल बोथरा, अध्यक्ष, बीकानेर जिला उद्योग संघ, बीकानेर	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
5.	श्री जगदीश चौधरी सचिव, बीकानेर जिला उद्योग संघ, बीकानेर।	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
6.	श्री गौरीशंकर व्यास, 91 ⁄ ई0डब्ल्यू0एस0 मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीकानेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
7.	श्री शिवकिशन जी जोशी, लाली बाई की बगीची के सामने नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
8.	श्री रमेश व्यास, पावर हाउस मजदूर यूनियन एम0एम0 हाई स्कूल के पास, बीकानेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
9.	काo अब्दुल रहमान पशु आहार संयत्र रामपुरा लालगढ़ स्टेशन के सामने, बीकानेर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बीकानेर।	सदस्य सचिव	1 (एफ)

स्थानीय समिति, भीलवाडा

क.सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा
		2	(सामान्य) विनियम
! 			1950—10ए
1.	अधीक्षक, कराबी चिकित्सालय,	अध्यक्ष	1 (ए)
	भीलवाड़ा		
2.	श्रम कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी,	सदस्य	1 (सी)
	कराबी औषधालय नं.–2, भीलवाड़ा		
4.	श्री एम.पी. पुरोहित मेवाड़ चेम्बर भवन,	नियोजक प्रतिनिधि	<u>ा (डी)</u>
	नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा		
5.	श्री आर.एस. सोडानी पंजाबी गली	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
	भोपालगंज, भीलवाड़ा		
6.	श्री प्रभात चौधरी 11/97 भोपालगंज	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	सिविल लाईन भीलवाड़ा।		
7.	श्री हीरालाल ओझा, मार्फत	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
l ·	राज0परिवहन निगम बस स्टेण्ड,		
	भीलवाड़ा		
8.	श्री छोटू सिंह पुरावत,	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
	महामंत्री, इंटक यूनियन मार्फत वीएसए		-
	लि0 मण्डपम, भीलवाड़ा		
9.	का० नन्दलाल वर्मा, बैंक ऑफ	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (彰)
	राजस्थान के सामने भुपालगंज		
	भीलवाड़ा		
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय,	सदस्य सचिव	1 (एफ)
 	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भीलवाड़ा		

. Ŀ

स्थानीय समिति, गुलाबपुरा

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम
1.	and an a star of the factor of the start of		<u>1950-10 </u>
Eu	अधीक्षक, कराबी चिकित्सालय,	अध्यक्ष	1 (ए)
	भीलवाड़ा		(0)
2.	उप श्रम आयुक्त,	सदस्य	1 (बी)
	चित्तौडगढ़		
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,	सदस्य	1(सी)
	क0रा0बी0 औषधालय, गुलाबपुरा		-
4.	श्री जे0 एस0 लड्डा,	नियोजक	1(डी)
	राज0 स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि0,	प्रतिनिधि	
	खारीग्राम् (हुरडा)		
	अजमेर रोड– 311021, गुलाबपुरा		
	(भीलवाड़ा)		
5.	श्री बी0 एस0 संचेती,	नियोजक	1(डी)
	सुपर सिम्कोट्रेक्स इण्डिया	प्रतिनिधि	
1	पों0 बो0 नं0-3, खारी का लाम्बा,		
	गुलाबपुरा		
6.	श्री सत्यानारायण शर्मा, पो० गुलाबपुरा,	श्रमिक	1(ई)
	जिला– भीलवाड़ा	प्रतिनिधि	
7.	श्री गुमान सिंह शेखावत,	श्रमिक	1(ई)
	मार्फत राज0 सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि0,	प्रतिनिधि	
	गुलाबपुरा, भीलवाडा		
8.	श्री महेन्द्र जोशी, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ,	श्रमिक	1(ई)
	मार्फत राज0 स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स,	प्रतिनिधि	
	खारीग्राम (गुलाबपुरा)		
9.	का0 ओम प्रकाश,	श्रमिक	1(ई)
	ग्रा0 पो0 सहाडा,	प्रतिनिधि	
	वाया– गंगापुर (भीलवाड़ा)		
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय,	सदस्य	1(एफ)
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम.	सचिव	• • • • • •
	गुलाबपुरा		
i	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

٠

स्थानीय समिति, बांसवाड़ा

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10 ए
1.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, जनरल हास्पिटल, बांसवाड़ा	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, बासवाडा	सदस्य	1(बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषधालय, बांसवाड़ा	सदस्य	1(सी)
4.	श्री जेo सीo लड्ढ़ा, राजo स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिo, विलेज माण्डी, आरo एसo घापी, जिला– बांसवाड़ा	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री एस0 एस0 सज्जल, बांसवाड़ा टैक्सटाईल्स मिल्स लि0, दोहाद रोड, इण्ड0 एरिया, बांसवाड़ा	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री पुष्पेन्द्र चौबिसा मार्फत रूक्मणी सदन कालेज रोड 200, कामर्शियल एरिया, बांसवाड़ा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री रजनीश गुप्ता मार्फत रूक्मणी सदन कालेज रोड 200, कामर्शियल एरिया, बांसवाड़ा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	श्री अशोक अरोडा, महामंत्री, राजस्थान कामगार संघ (इंटक), बांसवाड़ा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9.	का. हमीद खां जोया, मार्फत राज0 रोडवेज डिपो, बांसवाड़ा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बांसवाड़ा	सदस्य सचिव	1 (एफ)

14-109 G1/2008

. .

 $\langle \cdot \rangle$

ł

स्थानीय समिति, अलवर

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10 ए
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	श्रम कल्याण अधिकारी, अलवर	सदस्य	1(बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषधालय नं. 1, अलवर	सदस्य	1(सी)
4.	श्री आर0 कें0 शर्मा, उप प्रबन्धक (कार्मिक), मै0 अशोक लीलेण्ड लि0, एम0 आई0 ए0, अलवर	नियोजक प्रतिनिधि	1(ডী)
5.	श्री आर0 के0 काजला, पर्सनल मैनेजर, हैवल्स इण्डिया लि0, एम0 आई0 ए0, अलवर	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री जगदीश रावत 90 आयसर लि0, मत्स्य इण्डस्ट्रीयल एरिया, अलवर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री आर0 दयाल, टेलीफोन एक्सचेंज, अलवर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	श्री भरत सिंह, विद्युत कर्मचारी संघ, कम्पनी बाग के पास, अलवर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9,	काo तेजपाल सैनी, राजस्थान रोडवेज डिपो, अलवर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अलवर	सदस्य सचिव	1(एफ)

स्थानीय समिति, हनुमानगढ़

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950—10 ए
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़	सदस्य	1(बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 _. औषधालय, हनुमानगढ़	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री एम0 डी0 देथा, जनरल मैनेजर, स्पिनफेड स्पिनिंग मिल्स, इण्ड0 एरिया, पो0बा0 नं0 30, हनुमानगढ़	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री काबुल जैन्थ, जैन मै0 एस0 एम0 बलोचन प्रा0 लि0, सी—34 इण्ड0 एरिया, हनुमानगढ़	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री कृष्ण तायल 2 / 133–134 हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री भूपेन्द्र कुमार रस्तौगी, 161, सैक्टर6, सीतापुरा, हनुमानगढ़	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	का0 रामकुमार वार्ड नं0 4, पुरानी खुर्जा कच्ची बस्ती, हनुमानगढ़ जंक्शन	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9.	का0 ओम सागवान मार्फत राज0 रोडवेज डिपो, हनुमानगढ़ जंक्शन	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हनुमानगढ़	सदस्य सचिव	1(एफ)

, Ú.

ŧ

स्थानीय समिति, सुखेर

क. स.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10 ए
1.	अधीक्षक, जनरल अस्पताल, उदयपुर	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, उदयपुर	सदस्य	1(बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषधालय, सुखेर	सदस्य	1(सी)
4.	श्री एस0 के0 अग्रवाल, निदेशक, सुनेर मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्रा0 लि0, उद्योग बिहार, सुखेर	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री बी0 एम0 लोढा, मै0 विनीत उद्योग लि0, पो0 बा0 नं0 12, उद्योग बिहार, सुखेर (उदयपुर)	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री चन्द्र सिंह कोठ्यारी, मार्फत जय मोटर्स फतेह मैमोरियल सूरजपोल, उदयपुर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री विजय सिंह चौहान, 12 मानसून कोलोनी, सिसारमा जी0 एस0 एस0 के पास, उदयपुर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	श्री जगदीश राज श्रीमाली, शान्ती निकेतन कोलोनी, लिंक रोड, बडगांव, तह0 गिर्वा, उदयपुर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9.	का0 महेश शर्मा, अशोक नगर, उदयपुर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर	सदस्य सचिव	1 (एफ)

स्थानीय समिति, आबूरोड

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10 ए
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।	अध्यक्ष	1 (哎)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, सिरोही	सदस्य	1(बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषधालय, आबूरोड	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री एस0 के0 बदलानी, मै0 राज0 पोलिमर्स एण्ड रोलिंग लि0, 138 / 143, अम्बानी इण्ड0 एरिया, आबूरोड, (सिरोही)	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री केंo चन्द्रशेखर मैo रिषभ यार्नस लिo, ई–38,39, अम्बानी इण्डo एरिया, आबूरोड, (सिरोही)	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री आर0 के0 जोशी, 1 / 423, हाउसिंग बोर्ड, सिरोही	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री दिनेश पुरोहित, वालकेम इण्डिया लि0, सिरोही रोड, जिला सिरोही	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	श्री जगमाल सिंह माली, लक्ष्मी सीमेन्ट मजदूर यूनियन (इंटक), जे0 के0 पुरम्, सिरोही	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9.	का0 राकेश शर्मा, प्लाट नं0 18, गणेश कोलोनी, आबूरोड सिरोही	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आबूरोड	सदस्य सचिव	1(एफ)

15-109 GI/2008

स्थानीय समिति, बासनी

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10 ए
1.	अधीक्षक, कराबी चिकित्सालय, जोधपुर	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, जोधपुर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषधालय, बासनी	सदस्य	1(सी)
4.	श्री सतीश चौधरी, मै० एकलाईन प्लास्टिक, ई–27, एम0 आई० ए०, ा फेज, बासनी, जोधपुर	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री योगेन्द्र डागा, जी–1, 83 न्यू पावर हाउस के पीछे, औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री छोटू सिंह, टंकी के पास, खेमे का कुआ, पाल रोड, जोधपुर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	का0 ए0 डब्लू0 अंसारी मार्फत विजय मेहता, एडवोकेट, सोजती गेट के बाहर, जोधपुर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	काo सराफत अली मार्फत विजय मेहता, एडवोकेट, सोजती गेट के बाहर, जोधपुर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
Э.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जोधपुर	सदस्य सचिव	1(एफ)

۲.,

स्थानीय समिति, बालोतरा

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10 ए
1.	अधीक्षक, जनरल हास्पीटल, बातोतरा	अध्यक्षं	1 (ए)
2.	श्रम कल्याण अधिकारी, बालोतरा	सदस्य	1(बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषधालय, बालोतरा	सदस्य	1(सी)
4.	श्री गौतम चौपड़ा, अध्यक्ष, मैo नाकोडा प्रोसेसिंग हाउस, एफ—89, फेज—3, इण्डo एरिया, बालोतरा	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री रामस्वरूप गर्ग, सचिव, मैo राजo इण्डस्ट्रीज, एफ 82, फेज—ा, इण्डo एरिया, बालोतरा	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री सोहन सिंह जैतमाल बीo एमo एसo पोo बालोतरा, जिला– बाडमेर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री ईश्वर चन्द दवे मार्फत कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जो0 वि0 निगम, बाडमेर	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	काo छगनदान देथा, दूसरे रेल्वे कोसिंग के पास, हनुमंत भवन के सामने, बालोतरा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9.	काo हनुमान पुत्र श्री छगनदान, देशा दूसरे रेल्वे कोसिंग के पास, हनुमंत भवन के सामने, बालोतरा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जोधपुर	सदस्य सचिव	1(एफ)

स्थानीय समिति, रींगस

क.सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा
			(सामान्य) विनियम
			1950—10ए
1.	अधीक्षक, सामान्य चिकित्सालय, रींगस	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, सीकर	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, कराबी औषधालय, रींगस	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री एस0पी0 अग्रवाल, एक्जीक्यूटिव प्रसिडेन्ट, मै0 जे पीएल रींगस, सीकर	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
5.	श्री एस.के. जैन, महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) जयपुर पोलिस्पिन लि0 जिला सीकर	नियोजक प्रतिनिधि	1 (डी)
6.	श्री मुरारी लाल शर्मा रेल्वे फाटक के पास रींगस जिला सीकर	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
7.	श्री मनोहर लाल शर्मा मकान नं. 964 / 10, सुन्दर पथ देवी पुरा सीकर	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
8.	श्री चतुर्थी लाल निठारवाल, महामंत्री, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, मार्फत राज0 स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि0, रींगस।	अमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
9.	का० नानूराम मार्फत का० सूरजभान एडवोकेट दयानन्द मार्ग, रामचन्द्रपुरा सीकर।	श्रमिक प्रतिनिधि	1 (ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वीकेआईए, जयपुर।	सदस्य सचिव	1 (एफ)

3681

Щ.,

स्थानीय समिति, कोटा

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10 ए
1.	अधीक्षक, कराबी चिकित्सालय, कोटा	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, कोटा	सदस्य	1(बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषघालय नं. 4, कोटा	सदस्य	1(सी)
4.	श्री शान्ति भण्डारी, इलेक्ट्रो केमिकल्स, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, कोटा	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री राजकुमार खूबचन्दानी, इण्डाना रबर इण्डस्ट्रीज, चम्बल इण्डस्ट्रीयल एरिया,कोटा	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री अवधेश मिश्रा, जी—24, विद्युत मण्डल कॉलोनी, सकतपुरा, कोटा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, बी0 एम0 एस0 कार्यालय, लाडपुरा, कोटा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	श्री शकील अहमद, एस0 एफ0 सी0, कामगार संघ (इंटक), श्रीराम नगर, कोटा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9.	का0 मांगीलाल, डी– 73, छावनी रामचन्द्रपुरा, कोटा–7	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उद्योग नगर, कोटा	सदस्य सचिव	1(एफ)

16-109 G1/2008

14- -

 $\sum_{i=1}^{n}$

स्थानीय समिति, चित्तौडगढ़

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950–10 ए
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	उप श्रम आयुक्त, चित्तौड़गढ़	सदस्य	1(बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषधालय, चित्तौड़गढ़	सदस्य	1 (सी)
4.	श्री आर0सी0 मीणा, कार्मिक अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि0, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री केo केo तिवाड़ी, सीनियर मैनेजर पर्सनल (कार्मिक), बिडला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
6.	श्री महेन्द्र रावत, डी–19, आदर्श नगर, चित्तौड़गढ़	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री धर्मेन्द्र झारोली मार्फत आदित्य सीमेन्ट आदिलपुरम् पोo सावा शम्भूपुरा, जिला–चित्तौडगढ	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	श्री भंवर लाल अहीर, अध्यक्ष, सीमेन्ट फैक्ट्री मजदूर संघ, बिडला सीमेन्ट लेबर कॉलोनी, चित्तौड़गढ़	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9.	श्री के0 वी0 शर्मा, क्वाटर नं0 टी-2/177, ई0 एस0 एल0 कॉलोनी, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चित्तौड़गढ़	सदस्य सचिव	1(एफ)

स्थानीय समिति, भवानीमण्डी

क. सं.	नाम पदाधिकारी	पदनाम	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम
			1950-10
1.	उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भवानीमंडी	अध्यक्ष	1 (ए)
2.	सहायक श्रम आयुक्त, कोटा	सदस्य	1 (बी)
3.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औषधालय, भवानीमंडी	सदस्य	1(सी)
4.	श्री शान्तिमल जैन, वाईस प्रेसीडेन्ट, राज0 टेक्सटाईल्स मिल्स लि0, पचपहार रोड, भवानीमंडी	नियोजक प्रतिनिधि	1(डी)
5.	श्री एन0 एम0 गुप्ता, मैसर्स सतलज इण्ड0 लि0, पचपहार रोड, भवानीमंडी	नियोजक प्रतिनिधि	1(ভী)
6.	श्री बाबू लाल राजावत, राजावत भवन, श्रीरामनगर, कोटा	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
7.	श्री देवी लाल शर्मा, रैगर मोहल्ला, भवानीमंडी, झालावाड़	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
8.	का0 कर्णसिंह मार्फत न्यू राजस्थान टेक्सटाईल मिल, भवानीमंडी	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
9.	श्री घासीलाल, टेक्सटाईल मिल के सामने, पटरी के पास, भवानीमंडी, झालावाड़	श्रमिक प्रतिनिधि	1(ई)
10.	शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भवानीमंडी	सदस्य सचिव	1(एफ)

एल. के. पटनायक क्षेत्रीय निदेशक

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

(स्थापना अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2008

सं. आई. 11011/01/2006-स्था./1557--

(i) इस पुरतकालय में निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति हुई है:

अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तिधि	पद	समूह
श्रीमती सुधा मुखर्जी	03.9.2007	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	क
श्री बसवराज एस. तालिकोटि	25.7.2007	राहा. पुस्त. एवं सूबना अधिकारी	ख
श्रीमती जसमोहन कौर	03.9.2007	सहा. पुस्त. एवं सूचना अधिकारी	ख

(ii) निम्नलिखित अधिकारी पुस्तकालय से सेवानिवृत्त हो चुके हैं:

अधिकारी का ज्ञास	सेवानिवृत्त की तिथि	पद	समूह
डा० तलगीर सिंह	31.8.2007	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	क
श्रीमती उर्मिल शर्मा	30.6.2007	सहा. पुस्त. एवं सूचना अधिकारी	ख

डा. बनवारी लाल निदेशक

वायदा बाजार आयोग

मुंबई, दिनांक 11 मार्च 2008

सं. 1/1/2007-एससीओओए/रेकॉग--

का० आ० वायदा बाज़ार आयोग, मुंबई, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अंतर्गत सुरेन्द्रनगर कॉटन आयल एण्ड आयलसीडस् एसोसिएशन लि0, सुरेन्द्रनगर, गुजरात द्वारा मान्यता के नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदन पर विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेन्ज को कपास, रूई और बिनौला में अग्रिम संविदा के संबंध में 1/04/2008 से

31/03/2010 (दोनों दिन शामिल) तक की दो वर्ष के लिए लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा मान्यता इस शर्त के अधीन दी जाती है कि उक्त एक्सचेन्ज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगा। उक्त मान्यता भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

> एम. मतिशेकरन आर्थिक सलाहकार

Mumbai, the 16th May 2008

DBOD. BP. BC. No. 21.01.002/2007-08.—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made with effect from May 7, 2008 in the Second Schedule to the said Act namely :—

For the words 'INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA LIMITED' the words 'IDBI BANK LIMITED' shall be substituted.

ANAND SINHA Executive Director

STATE BANK OF INDIA CENTRAL OFFICE

Mumbai-400021, the 06th June 2008

NOTICE

With reference to the Notice dated the 02nd May 2008 issued in terms of Regulation 21(1) of the State Bank of India General Regulations, published in the Gazette of India of the 10th May, 2008 regarding the holding of the General Meeting of the Shareholders of the Bank, in the Bank's Auditorium, behind State Bank of India Madame Cama Road Branch, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai-400 021 (Maharashtra) at 10.00 A.M., on Monday, the 23rd June, 2008, for election of four Directors on the Central Board under the provisions of Section 19 (c) of the State Bank of India Act, notice is hereby given that the following are the names and addresses of the candidates validly nominated for the four regular vacancies :—

- Shri NalamVisweswara Rao H. No. 1-1-550/A Musheerabad Hyderabad-500020 Andhra Pradesh
- Dr. Ashok Jhunjhunwala C 2/2, 5 Third Loop Road IIT Madras Chennai-600036
- 3. Shri Suman Kumar Bery N-42, Panchshila Park New Delhi-110017
- Shri Ajay G. Piramal Peninsula Corporate Park
 11th Floor, Ganpatrao Kadam Marg Lower Parel Mumbai-400013

- Shri Dileep C. Choksi E-7, Sea Face Park
 Bhulabhai Desai Road Mumbai-400026
- Shri Umesh Nath Kapur C-564, Sarita Vihar New Delhi-110072
- Shri S. Venkatachalam Building B-1 Flat 1-D (First Floor) Harbour Heights NA Sawant Marg, Colaba Mumbai-400005

N.B. Should any of the candidates wish to withdraw his/her nomination such withdrawal must be made in writing addressed to The Managing Director & CCRO, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai-400021 (Maharashtra) and received before the commencement of the voting for the election.

S. K. BHATTACHARYYA Managing Director & CCRO

L

PUNJAB & SIND BANK

New Delhi-110 0125

PUNJAB & SIND BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 2008

In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, (5 of 1980), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER – 1

INTRODUCTORY

- 1. (i) These regulations may be called Punjab & Sind Bank (shares & Meetings) Regulations, 2008.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions In these regulations, unless there is any thing repugnant to the subject or context or meaning thereof -
 - (a) "Act" means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (5 of 1980);
 - (b) "Bank" means Punjab & Sind Bank, constituted under Section 3 of the Act;
 - (c) "Board" means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act;
 - (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
 - (e) "Committee means a Committee constituted under regulation 2 A;
 - (f) "Executive Director" means the whole time Director, not being the Manager Director;
 - (g) "General Manager" means General Manager of the Bank;
 - (h) "Managerment Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme:
 - (i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank;
 - "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer floppies or diskettes under Sub Section (2G) of Section 3 of the Act and register of beneficial owner maintained by and depository Act, 1996 (22 of 1996);
 - (k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for
 - (i) collecting applications from investors in respect of an issue;
 - (ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities;
 - (iii) assisting the Bank in –

- (a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange;
- finalizing the list of persons entitled to allotment of (b) securities;
- processing and dispatching allotment letters, refund orders or (c) certificates and other related documents in respect of the issue, and
- (iv) such other functions as assigned from time to time by the Bank,
- "Scheme" means the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous (1)Provisions) Scheme, 1970;
- "Share" means share in the Share Capital of the Bank; (m)
- "Share transfer agent" includes -(n)
 - i. any person, who on behalf of the Bank maintains the records of the holders of the securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or
 - a department or division, (by whatever name called), of the Bank ii. performing the activities referred in sub-clause (i);
- Words and expressions used in Chapter III and not defined in these (0)regulations but defined in the Depositories Act, 1996, (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.
- The words and expressions use herein and not defined in these Regulations (p) but defined in the Act or Schemes, or guidelines issued by the Security and Exchange Board of India, and the guideline framed by the Reserve Bank in pursuant to the powers conferred on it under the proviso to clause (c) of subsection (2B) of section 3 of the Act shall have same meaning respectively assigned to them in the Act or the Scheme or the guidelines issued by the Security and Exchange Board of India or framed by the Reserve Bank, as the case may be.
- Except as provided in clause (ii) of regulations 60, the Board may constitute 2A (i) as and when necessary, a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence Executive Director and two other directors as it may deem fit, for the purpose of these regulations;
 - The Committee constituted under this regulation shall observe such rules of (ii)procedure as may be specified by the Board.

CHAPTER – H

SHARES AND SHARE REGISTER

- 3. Nature of shares The shares of the Bank shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.
- 4. Kinds of Share Capital
 - i. Preference Share Capital means that part of share capital of the Bank which fulfils both the following conditions:
 - (A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and
 - (B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely:-
 - a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (A) upto the date of winding up or repayment of capital, and
 - b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.
 - ii "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.
 - iii The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be construed accordingly.
- 4A. (1) The Bank may raise capital by public issue or preferential allotment or private placement of Equity Shares or Preferential Shares.
 - (2) The Bank shall formulate a proposal to raise capital in accordance with the guidelines, rules or regulations of the Security and Exchange Board of India, relating to raising of such capital.
 - (3) For raising capital by public issue or preferential allotment or private placement or Preference Shares, the extent of issue of each class of such Preference Shares (whether perpetual or irredeemable or redeemable) and the terms and conditions subject to which each class of such Preference Shares that may be issued by the Bank shall be determined in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the provisions contained in the proviso to clause (c) of sub-section (2B) of section 3 of the Act.
 - (4) The Bank shall submit the proposal to the Reserve Bank and take into account the views of the Reserve Bank before finalizing the proposal.

- (5) The final proposal shall thereafter be submitted to the Central Government for its sanction and the Central Government may grant sanction subject to such terms and conditions as it may deem fit.
- (6) The Bank shall raise capital in accordance with the sanction of the Central Government.
- 5. Particulars to be entered in the register
 - (i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with Sub-Section 2 (F) of Section 3 of the Act.
 - (ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2 (F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.
 - (iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.
 - (iv) Subject to the proviso of sub-section 2 (D) of sec.3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purpose of the Act and these regulations.
- 5A. (i) The Bank shall unless the register is in such form as in itself to constitute an index, keep an index, which; may in form of a card index of the names of shareholders and shall, within fourteen days after the date on which any alteration is made in the register of shareholders, make the necessary alteration in the index.
 - (ii) The index shall be kept with the register of shareholders.
- 6. Control over shares and registers Subject to the provisions of the Act and these regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of the Bank and be under the control of the Board and decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.
- 7. Parties who may not be registered as shareholders -
 - (i) Except as otherwise provided by the these regulations, all persons who are not competent to contact shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this shall be conclusive and final
 - (ii) In the case of partnership firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.
- 8. Maintenance of share register in computer system etc. -
 - (i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section 2 (F) of section 3 of the Act, read with those mentioned in Regulation 5, shall be maintained under Sub-section 2 (G) of Section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic / optical / magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up

at such location as may be decided from time to time by the Chairman & Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman & Managing Director. (Hereinafter referred to as "the designated official").

- Particulars required to be entered in the share register under Section 3 (B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.
- (iii) The register in electronic form shall be maintained subject to such safeguards as stipulated for securing electronic records under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
- 9. Safeguards for protection of Computer System -
 - (i) The access to the system set out in Regulation 8 (i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and / or share transfer agents as may be authorized in this behalf by the Chairman & Managing Director or the designated official and the password, if any, and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.
 - (ii) The access by the authorized persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the official / persons designated in this behalf by the Chairman & Managing Director or the designated official.
 - (iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman & Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fireproof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorized in this behalf by the Chairman & Managing Director or the designated official. The persons so authorized shall record the access in a manual register kept at the location.
 - (iv) It shall be the duty of the authorized persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.
 - (v) It shall be competent for the Chairman & Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology and / or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.
- 10. Exercise of rights of joint holders If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of register

- (i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be open to Inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.
- (ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charges or if he requires a copy or computer prints of the register or any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- or at such rate as the Board may decide for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.
- (iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorized officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.
- 12. "Closing of the register The Bank may, after ensuring compliance of the applicable guidelines and the listing agreement with the Stock Exchanges, and after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as may in its opinion, be necessary".
- 13. Share Certificates -
 - (i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.
 - (ii) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer not below the rank of Scale-II or the Company Secretary appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

- (iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.
- (iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificate so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorized to sign share certificates on behalf of the Bank.
- 14. Issue of Share Certificates
 - (i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one

occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which arc less than hundred.

- (ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.
- (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the Bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.
- 15. "Issue of new or duplicate share certificate"
 - (i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or the Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.
 - (ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee thinks fit. And on publication in two newspapers and on payment to the Bank of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.
- 16. Consolidation and sub-division of shares On a written application made by the shareholder(s), the Board or the Committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation / sub-division as the case may be and issue a new certificate (s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.
- 17. Transfer of shares:
 - (i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in Form 'A' annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee along with the relative share certificate.
 - (ii) The instrument of transfer along with the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof.
 - (iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer along with share certificate to the Registrar or Share Transfer Agent for the purpose of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate, if any, to the transfere for resubmission unless the instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transfer to make such transfer.
Explanation: - "Technical requirements" means -

- (a) Transfer deed shall be duly stamped;
- (b) Certificate number or distinctive number mentioned in the transfer deed shall tally with the share certificate;
- (c) Transferor's signature shall tally;
- (d) Transfer deed shall be witnessed;
- (iv) The Board or the Committee designated by the Board shall, unless it refuses to register the transfer under regulation 19 hereinafter, cause the transfer to be registered.
- Unless the transfer of shares is refused under regulation 19, the share certificate duly transferred shall be delivered to the transferee within sixty -days from the date of lodging of the instrument of transfer.
- 18. Power to suspend transfers The Board or the Committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.
- 19. Board's right to refuse registration of transfer of shares --
 - (i) The Board or Committee may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other grounds:-
 - (a) the transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;
 - (b) the transfer of shares, in the opinion of the Board, is prejudicial to the interests of the Bank to public interest;
 - (c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force;
 - (d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.
 - (ii) The Board or the Committee shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulations(i) -
 - (a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration; and
 - (b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i) intimate the same to the Transferor and the Transferee by notice in writing giving reasons for such refusal within 60 days from the receipt of the

transfer form or within such period as may be laid down in the Listing Agreement with the concerned Stock Exchange.

- 20 Transmission of shares in the event of death, insolvency etc.:
 - (i) The executors or administrators of a deceased share holder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favor a valid, instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognized by the Bank as having any title to such share.
 - (ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letters of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favor a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognized by the Bank as having any title to such share.
 - (iii) The Bank shall not be bound to recognize such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate, as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit.

- (iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right:-
 - (a) To be registered as a shareholder in respect of such share.
 - (b) To make such transfer of such shares as the person from whom he derives title could have made.
- 21. Sharcholder ceasing to be qualified for registration It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

Explanation - For the purposes of this regulation, a shareholder may cease to be qualified for registration, -

- (a) If he is a guardian of minor, on the minor attaining the majority;
- (b) If he is holding shares as a Karta, on his ceasing to be a Karta.

- 3695
- 22. Calls on shares The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the condition of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.
- 23. Calls to date from resolution A Call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.
- 24. Notice of call A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.
- 25. Extension of time for payment of call The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.
- 26. Liabilities of joint holders The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
- 27. Amount payable at fixed time or by instalments as calls If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of calls shall relate to such amount or instalment accordingly.
- 28. When interest on call or instalment payable If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.
- 29. Non-payment of calls by shareholder No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.
- 30. Notice on non-payment of call or instalment If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, the Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgment or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission,

requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Bank by reason of such non-payment.

- 31. Notice of Forfeiture The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other moneys and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.
- 32. Shares to be forfeited on default If the requirement of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect at its next meeting to be held after the expiry of the notice of forfeiture under regulation 31. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.
- 33. Entry of forfeiture in the register When any share has been forfeited under Regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.
- 34. Forfeited shares to be property of the Bank and may be sold Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Bank and may be sold, reallotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.
- 35. Powers to annul forfeiture The Board may, at any time, before any share so forfeited under Regulation 32 shall have been sold, re-allotted or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as it any think fit.
- 36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest- Any share holder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay shall and forthwith pay to the Bank all calls, instalments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof
- 37. Partial payment not to preclude forfeiture- Neither a judgment nor a decree in favour of the Bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction there under nor the receipt by the Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.
- 38. Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank- The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims

and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

- 39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited- Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provision of the preceding regulations, certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null and void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.
- 40. Application of forfeiture provisions- The Provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of call duly made.
- 41. Lien on shares -
 - (i) The Bank shall have a first and paramount lien
 - a) On every share (not being a fully-paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share.
 - b) On all shares (not being fully-paid shares), standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate in the Bank.
 - c) Upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts: liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfillment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognized by the Bank over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from provisions of this clause.

- (ii) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.
- 42. Enforcing Lien by Sale of Shares
 - i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a Lien:
 - a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and
 - b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

- ii) To give effect to any such sale, the Board may authorize some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.
- 43. Application of proceeds of sale of shares- The net proceeds of any sale of shares under Regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.
- 44. Certificate of forfeiture- A certificate in writing under the hands of any director, or Company Secretary or any other Officer of the Bank not below the rank of Scale II duly authorized in this behalf, that the call in respect of a share was made that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.
- 45. Title of purchaser and allottee of forfeited share- The Bank may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, re-allotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, re-allotted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, re-allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Bank exclusively.
- 46. Service of a notice or document to shareholders-
 - (i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.
 - (ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice:

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due or by courier service or in an electronic made and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effective in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post or electronic media, as the case may be.

(iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement

٩,

appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

- (iv) A notice or a document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said share.
- (v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a pre-paid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.
- (vi) The signature to any notice to be given by the Bank may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank- The Bank may enter into an agreement with one or more depository as defined in section 2 (e) of the Depositories Act, 1996 to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48 to 55 omitted

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

- 56. Notice convening an Annual General Meeting.
 - (i) A notice convening an annual general meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any officer not below the rank of Scale VII or company Secretary shall be published at least twenty one clear days before the meeting in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.
 - (ii) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting and also the business that shall be transacted at that meeting.
 - (iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The Meeting shall be held at the place of head office of the Bank.

57. Extraordinary General Meeting

- (i) The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive director of the Bank or in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders, if so directed by the Board, or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares carrying, in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all the shareholders.
- (ii) The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists
- (iii) Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.
- (iv) The time, date and place of the extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board:

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not later than 45 days of the receipt of the requisition.

(v) If the Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to subregulation (iv), the meeting may be called by the requisitions themselves within three moths from the date of the requisitionists. Provided that nothing in this sub regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

- (vi) A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.
- 58. Quorum of general meeting
 - (i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless a quorum of at least five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.
 - (ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present in case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.
 - (iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorized representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called:

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of Section 10A(1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorized representative at such time shall form the quorum.

- 59. Chairman at general meeting
 - (i) The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorized by the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the Chairman of the Meeting and if the Chairman & Managing Director or the Executive Director or any other Director authorized in this behalf is not present, the meeting may elect any other director present to be the chairman of the meeting.

- (ii) The chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.
- 60. Persons entitled to attend general meetings.
 - (i) All directors and all shareholders of the bank shall, subject to the provisions of sub regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.
 - (ii) A shareholder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the Chairman containing particulars relating to:
 - a) his full name and registered address;
 - b) the distinctive numbers of his shares;
 - c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorized representative.
- 61. Voting at general meetings-
 - (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.
 - (ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
 - (iii) Unless a poll is demanded under sub regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
 - (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
 - (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
 - (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

•

4

- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.
- 61A. Scrutineers at Poll
 - (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
 - (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineers from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
 - (iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting; provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.
- 61B. Manner of taking poll and result thereof:
 - (i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which poll shall be taken.
 - (ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.
- 62. Minutes of general meetings-
 - (i) The Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.
 - (ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the Chairman of the meeting at which the proceedings were held or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.
 - (iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings hereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held and all proceedings held thereat to have been duly held.
 - (iv) On written request made by a shareholder for inspection of the minute book or for a copy of the minutes of a specified meeting, the Bank shall allow the inspection or furnish the copy of the minute, as the case may be, to the shareholder.

٠.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

- 63 Directors to be elected at general meeting-
 - (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of the Bank.
 - (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.
- 64. List of Shareholders-
 - (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
 - (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.
- 65 Nomination of candidates for election
 - (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
 - a. He is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank.
 - b. He is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the act or under the Scheme;
 - c. He has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d. The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.
 - c. The nonunation accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve

Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.

- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than Fourteen days before the date fixed for the meeting.
- 66. Scrutiny of nominations
 - (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forewith and his name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
 - (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
 - (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.
- 67. Election Disputes
 - (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
 - (ii) On receipt of intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of the committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) & (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.
 - (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
 - (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

÷

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

- 68. Determination of Voting rights:
 - (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registred as a shareholder on the date of a closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
 - (ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated herein above in sub-regulation (i).

Explanation - for this Chapter, "Company" means any body corporate.

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.
- 69. Voting by duly authorized representative
 - (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central government/ company.
 - (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him, as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.
- 70. Proxies
 - (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed bt the shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the

body corporate signed by its officer or any attorney duly authiorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark affixed thereto and attested by the Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of the Bank.

- (ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of the power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- (iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be Irrevocable and final.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- (vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

[PART III—SEC. 4

PUNJAB & SIND BANK Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110 125

FORM 'A'

SHARE TRANSFER FORM [See sub-regulation (i) of the regulation 17]

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s) named do hereby transfer to the "transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesaid.

.

Full Name of Company		Name of where deal	the recognized Sto tt in, if any	ck Exchange,
Description	of Equity Shares			
No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)	
Distinctive Numbers	From To		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

-

Corresponding Certificate Nos.		
Transferor(s) {Seller(s)}	Regd. Folio	No. Signature(s)
Particulars		
Name(s) in full	1	<u> </u>
	2	2
	3 4	3 4
	••	····
ATTESTATION		
I hereby attest the signature of	f the	
Transferor(s) herein mentione		Signature of witness
0:		Name and address of witness
Signature		
Name		·
Address / Seal		
PIN		
Transferee(s)	{Buyer(s)} P	articulars Signatuare(s)
Name (s) in full	1	1
	2.	
	3.	3
Occupation	Address	Father's / Husband's Name
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,,	
1.		
2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.		
3.		
and the second		······

Transferce(s) existing Folio, if any, in same Order of Names	Value of Stamps affixed Rs
Dated this	day ofTwo Thousand
	Place
For office use only Checked by Signatures tallied by	() () (Folio) (Company Code) ()
Entered in Register of Transfer No Approval Date	Specimen 1.

Instructions for attestation:

Attestation, where required (thumb impressions, marks, signature difference etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public Office and authorized to use the seal of his office or a memberof a recognized Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the Transferor's Bank.

NOTE: Names must be rubber stamped preferably in a straight-line, Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

Name of delivering Broker or Clearing Member Date _____

POWER OF ATTORNEY / PROBATE / DEATH CERTIFICATE 12

LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company

No..... Date.....

(Signature (not initials) of the broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House)

.....

LODGED BY:

FULL ADDRESS:

SHARE CERTIFICATE TO BE RETURNED TO (FILL IN THE NAME AND ADDRESS TO WHICH THE CERTIFICATES ARE REQUIRED TO BE RETURNED)

.

Name & Address:

Share Transfer Stamps

[PART III—SEC. 4

¢

FORM OF PROXY

{See sub-regulation (iii) of Regulation 70}

Folio No.

(To be filled in by the shareholder)

I / We, resident of		in the
district of	in the state of	
being shareholder / shareholders of the resid	ne Punjab & Sind Bank her ent of	eby appoint Shri in the
district of in the	state of	or failing
him, Shri	resident of	
in the district of in	the state of	as my /
our proxy to vote for me / us and on my /	our behalf at the meeting of the	ne share holders of
the Punjab & Sind Bank to be held on the at any adjournment thereof.	day of	20, and

Signed this	_day of	20
Name:	A	ttix
Address:	R	evenue Stamp

MINISTRY OF LABOUR EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION KOLKATA-700091, the 25th March 2008

No. EPFO/Addl. CPFC/EZ/EDLI(EXEMPT.)/151/NOTIFICATION/506(i).--

S.O.______whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as mentioned in the Schedule-I in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment in Schedule-I from the operation of said scheme for a period as mentioned in the Schedule-I against each of the said establishment. Exemption in respect of said establishment from SI. 1 to 5 is extension of exemption in continuation of previous Notification No. and dated shown against the said establishment.

ıÞ.

,

	<u>BONEDOLE (</u>		
Previous Notification	Name of the Establishment with	Period of	Approved
No. and Date	code No.	Exemption/Exte	Scheme in
		nsion	lieu of EDLI
2/1959/DLI/EXEMP/	M/s. Landis + Gyr Limited	24.06.2003 TO	GIS with LICI
89/Pt.1/885 dated	Formerly knows as VXL Landis &	23.06.2006	
12.09.2001.	Gyr Ltd. (WB/11576)		
		-	
2/1959/DLI/EXEMP/89	M/s. Hallmark Aquaequipment	01.09.2002 TO	GIS with LICI
/Pt.1/994 dated	Pvt. Ltd. (Formerly known as M/s.	31.08.2005	
07.05.2002.	Hallmark Irrigation Equipments		
	Pvt. Ltd.) (WB/29170).		
2/1959/DLI/EXEMP/89	M/S IFB Agro Industries	01.03.2003 TO	GIS with LICI
/Pt.I/1002 dated	Ltd.(WB/23943).	28.02.2006	:
15.10.2004.			
		- 	
2/1959/DLI/EXEMP/89	M/s Assam Gramin Vikash Bank	01.03.2007 TO	GIS with LICI
/Pt.1/1417 dt.	(Formerly Pragjyotish Gaonlia	28.02.2010	
29.12.2004.	Bank (AS/962)		
	1 2 2 1 1	:	
2/1959/DLI/EXEMP/89	M/s. Shree Automobiles Pvt. Ltd.	24.06.2006 TO	GIS with LICI
/Pt.1/1417	(AS/1828)	23.06.2009	
dated 29.12.2004.			
	M/s. Golden Trust Financial	From 01.12.2005	GIS with LICI
Fresh	Services, WB/34235	to 30.11.2007	
	M/s. SWITZ Foods Private Ltd.	From 01.09.2004	GIS with LICI
Fresh	WB/33064	to 31.08.2007	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M/s. Golden Corporate Services	From 01.12.2005	GIS with LICI
Fresh	WB/44714	to 30.11.2007	
···· ·····	M/s. Chandmall Sarawgi &		GIS with LICI
Fresh	Company, AS/338	to 31.10.2007	:
	No. and Date 2/1959/DLI/EXEMP/ 89/Pt.1/885 dated 12.09.2001. 2/1959/DLI/EXEMP/89 /Pt.1/994 dated 07.05.2002. 2/1959/DLI/EXEMP/89 /Pt.1/1002 dated 15.10.2004. 2/1959/DLI/EXEMP/89 /Pt.1/1417 dt. 29.12.2004. 2/1959/DLI/EXEMP/89 /Pt.1/1417 dt. 29.12.2004. Eresh Fresh	PreviousNatificationName of the Establishment with code No.2/1959/DU/EXEMP/M/s. Landis + Gyr Limited89/Pt.1/885dated12.09.2001.Gyr Ltd. (WB/11576)2/1959/DU/EXEMP/89M/s. Hailmark Aquaequipment/Pt.1/94datedPvt. Ltd. (Formerly known as M/s.07.05.2002.Hailmark Irrigation EquipmentsPvt. Ltd.) (WB/29170).2/1959/DU/EXEMP/89M/SM/SIFBAgroIndustries/Pt.1/1002datedLtd.(WB/23943).15.10.2004.2/1959/DU/EXEMP/89M/sAssam Gramin Vikash Bank/Pt.1/1417dt. (Formerty Pragjyotish Gaonlia29.12.2004.BankAstrona M/s. Shree Automobiles Pvt. Ltd./Pt.1/1417(AS/1828)dated 29.12.2004.M/s. Solden Trust FinancialFreshWB/33064M/s. Golden Corporate ServicesFreshWB/44714	PreviousNotificationName of the Establishment withPeriodofNo. and Datecode No.Exemption/Exte2/1959/DU/EXEMP/M/s. Landis + Gyr Limited24.06.2003TO29/Pt.1/885dated(Formetly knows as VXL Landis &23.06.200612.09.2001.Gyr Ltd. (WB/11576)21.09.2002TO2/1959/DU/EXEMP/89M/s. Hailmark Aquaequipment01.09.2002TO7Pt.1/994datedPvt. Ltd. (Formetly known as M/s.31.08.200507.05.2002.Hailmark Irrigation EquipmentsPvt. Ltd.) (WB/29170).28.02.20062/1959/DU/EXEMP/89M/s. IFBAgroIndustries01.03.200315.10.2004.Ltd.(WB/23943).28.02.201029.12.2004.Bank(AS/962)23.06.2009TO2/1959/DU/EXEMP/89M/s. Assam Gramin Vikash Sank01.03.2007TO2/1959/DU/EXEMP/89M/s. Assam Gramin Vikash Sank01.03.2007TO2/1959/DU/EXEMP/89M/s. Sthree Automobiles Pvt. Ltd.24.06.2006TO2/1959/DU/EXEMP/89M/s. Sthree Automobiles Pvt. Ltd.24.06.2006TO2/1959/DU/EXEMP/89M/s. Sthree Automobiles Pvt. Ltd.24.06.2006TO2/1959/DU/EXEMP/89M/s. Golden Trust FinancialFrom 01.12.2005FreshServices. WB/34235to 30.11.2007M/s. Golden Corporate ServicesFrom 01.09.2004FreshWB/33064to 31.08.2007M/s. Golden Corporate ServicesFrom 01.12.2005M/s. Golden Corporate ServicesFrom 01.12.2005

SCHEDULE 4

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

٩.

r

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees by this approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.

9. Therefore, for any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to Japse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s), legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. D. SINGH Asst. P. F. Commissioner(EZ)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Jaipur-302001, the 14th May 2008

No. 15-V-34-11/4/2003-Estt.---

In exercise of the powers conferred under regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 the Chairman, Regional Board, Rajasthan has constituted the following Local Committees with effect from the date of publication of notification :-

JAIPUR :-

1.	Link Officer & Senior Medical Officer Incharge (Leave Reserve), ESI Directorate, Jaipur	Chairman	1 (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Jaipur	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 9, Jaipur	Member	1 (c)
4.	Sh. S.M. Saraf, M/s. Saraf Gartex Limited, B- 117, Road No. 9, V.K.I. Area, Jaipur	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. R.N. Kaushik, M/s. National Engineering Industries, Khatipura Road, Jaipur	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Diwakar Sharma, District President, Bhartiya Majdoor Sangh, Jaipur	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Suraj Bhan Samoda, Jila Mantri Bhartiya Majdoor Sangh, Jaipur	Employees' Representative	1 (e)
8.	Sh. Ramavatar Sharma, Indian Trade Congress, Power House, Majdoor Maidan, Jaipur	Employees' Representative	1 (e)
9.	Com. Premji, Swami Kumaranand Bhawan, Near Hathroi Fort, Jaipur AITUC	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Nehru Place, Jaipur	Member Secretary	1 (f)

1 .

25-109 G1/2008

[PART III—SEC, 4

-

ŧ,

¢

JODHPUR :-			
1.	Superintendent, ESI Hospital, Jodhpur	Chairman	1 (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Jodhpur	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 2, Jodhpur	Member	1 (c)
4.	Sh. Kamal Mehta, President, Qualitech Metal Industries, Sector-11/E, MIA, Basni, Phase-I, Jodhpur	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. Kamal Singhvi, Honorary Secretary, M/s. Navjyot Industries, F-306, MIA, Basni, Phase- II, Jodhpur	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Shyamji Dahiya, Khanda Phalsa, Moharon ki Pole ke Paas, Jodhpur	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Chhotu Singh, Tanki ke Paas, Kheme ka Kua, Paul Road, Jodhpur	Employees' Representative	1 (e)
8.	Sh. Vedprakash Sharma, General Secretary, Intuc Union, C/o. Alchobex, Jodhpur	Employees' Representative	1 (e)
9.	Com Vishnu Gandhi, AITUC, Mohan Sadan, 10/404, Chaupasni Housing Board, Jodhpur	Employees' Representative	1 (e)
10. BEAWAR :-	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Jodhpur.	Member Secretary	1 (f)
1.	Chief Medical & Health Officer, Beawar	Chairman	1 (a)
2.	Labour Welfare Officer, Beawar	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Beawar	Member	1 (c)
4.	Sh. Harish Chandra Sharma, Legal Manager, M/s. Mahalaxmi Mills, Beawar	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. Kailash Chand Mundra, M/s. Mundra Grinding, Ajmer Road, Beawar	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Chhagan Dan, Shree Cement, Beawar	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Dilip Sen, Shree Cement, Beawar, District Ajmer	Employees' Representative	1 (e)

ł

8.	Sh. Laxmi Narayan Chauhan, President Rashtriya Laghu Udhyog Oon Majdoor Sangh (INTUC), Jamalpura, Beawar		1 (e)
9.	Com. Raghu Nath Vaishnav, Swami Kumaranand Bhawan, Textile Labour Union Mill Gate ke Samne, Bewar, District Ajmer	1 *	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Beawar	Member Secretary	1 (f)
BHARATPUR :-			
1.	Chief Medical & Health Officer, Bharatpur	Chairman	1 (a)
2.	Labour Welfare Officer, Bharatpur	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 2, Bharatpur	Member	1 (c)
4.	Sh. Krishan Kumar Agrawal, M/s. Shree Om Industries, Nayee Mandi, Bharatpur	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. Deen Dayal Singhal, Shree Shankar Industries, RIICO Bharatpur.	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Naresh Khandelwal, Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank, Bharatpur	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Laxman Singh, 960/1 Dayal Bada, Kanjloi Line, Bharatpur	Employees' Representative	1 (e)
. 8.	Sh. Vidhya Sagar Sharma, Rajasthan Vidhyut Majdoor Congress, Behind Zanana Hospital, Gopalgarh, Bharatpur	Employees' Representative	1 (e)
9.	Com. Murai Lal Gupta, 622, Rajendra Nagar, Bharatpur	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Bharatpur	Member Secretary	l (f)
A INTED -			
AJMER :- 1.	Superintendent, J.L.N. Medical College, Ajmer	Chairman	1 (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Ajmer	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 1, Ajmer	Member	1 (c)
4.	Sh. M.B.S. Agrawal, Managing Director, Jagjan Private Limited, F-22, Industrial Area, Parbatpura, Ajmer-305002		1 (d)

=

7

.

5.	Sh. Arun Kabra, Director Standard Alloys India Private Limited, F-26 (B)/27, Industrial Area Parbatpura, Ajmer-305002	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Vijay Singh C/o. Sh. Bhola Nath Acharya, 189/50, Kayasth Mohalla, Ajmer	Employees' Representative	l (e)
7.	Sh. Bhola Nath Acharya, 189/50, Kayasth Mohalla, Ajmer	Employees' Representative	1 (e)
8.	Com. Abdul Zabbar, Ward No. 3, Imam Bade ke Paas, Neta Kirana Store, Gandhi Nagar, Ramner Road, Madanganj, Kishangarh, Ajmer.	Employees' Representative	1 (e)
9.	Sh. Bhanwar Lal Navaliya, 626/24, C-Jadam Bhawan, Narishala Road, Shakti Nagar, Ajmer.	Employees' Representative	l (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Ajmer.	Member Secretary	1 (f)
KISHANGARH :-			
1.	Chief Medical Officer, Govt. Y.N. Hospital, Kishangarh.	Chairman	l (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Ajmer	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Kishangarh.	Member	1 (c)
4.	Sh. Gopal Soni, Soni House, Laxminarayan Vihar Colony, Ajmer Road, Madanganj- Kishangarh.	Employers' Representative	l (d)
5.	Sh. Kalyan Yadav, Azad Nagar, Mahaveer Colony, Madanganj-Kishangarh	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Kishori Nath Sisodia, Public Health Engineering Department, Bihari Pole, Naya Shahar, Kishangarh	Employees' Representative	l (e)
7.	Sh. Satish Sharma (Netaji), Rashtriya Power Loom Shramik Congress, INTUC Wali Gali, Madanganj-Kishangarh	Employees' Representative	l (e)
8.	Com. Gopi Kishan Sahu, Railway Station Chaurahe ke Paas, Ganesh Mandir ke Samne, Ajmer Road, Madanganj- Kishangarh	Employees' Representative	1 (e)
9.	Sh. Hanuman Sahai Malodia, Purani Mill Quarter, Jaipur Road, Madanganj- Kishangarh	Employees' Representative	l (e)

-

10.	Branch Manager, Branch Offic Employees' State Insurance Corporatio Kishangarh		Member ecretary	1 (f))
PALI :-					
1.	Superintendent ESI Hospital, Pali		Chair	man	1 (a)
2.	Labour Welfare Officer, Pali		Mem	ber	I (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 2,	Pali	Mem	ber	l (c)
4.	Sh. A.L. Maheshwari, Managing Director Maharaja Shree Ummed Mills Ltd, Jodhpur Road		Emplo Represei	-	1 (d)
5.	Sh. Anar Chand, M/s. D.K. Process Pvt. Ltd. Industrial Area, Pali	, E -72 ,	Emplo Represer		1 (d)
6.	Sh. Ramnath Singh, C.S./176, Shivaji Nagar, Pal	i	Employ Represe	-	l (e)
7.	Sh. Bhanwar Lal Meghwal, Anand Nagar, Pali		Emplo Represe	-	1 (e)
8.	Sh. Amar Bahadur Yadav, Mahamantri, Rashtri Majdoor Congress, Mill Gate ke Samne, Pali Ma	-	Emplo Represe	•	1 (e)
9.	Sh. Ganga Singh Medliya, House No. 222, Nagar, Pali Marwar	Pratap	Emplo Represei	-	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees Insurance Corporation, Pali	s' State	Mem Secre		1 (f)
UDAIPUR :- 1.	Superintendent, General Hospital, Udaipur	Chair	man	l (a)	
2.	Assistant Labour Commissioner, Udaipur	Merr.	iber	1 (b)	
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 1, Udaipur	Merr	ıber	1 (c)	
4.	Sh. Vishwajeet Paneri, M/s. Lipidata System, Madri Industrial Area, Udaipur	Emplo Represe	-	l (d)	
5.	Sh. R.S. Tripathi, M/s. Reliance Chemotex Ltd. Industrial Area, Udaipur	Emplo Represe	-	1 (d)	
6.	Sh. Ashok Purohit, 32-B, Isa Ji ka Naam, Ganesh Ghati, Udaipur	Emplo Represe	-	l (e)	
7.	Sh. Mohan Singh Kothari, Kothariyon ki Gali, Ghantaghar, Udaipur	Emplo Represe	-	1 (e)	

[PART III-SEC. 4]

8.		Employees' epresentative	1 (e)
9.	· · · ·	Employees' epresentative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Udaipur	Member Secretary	1 (f)
BIKANER :-	Odalpui		
1.	Superintendent, Sardar Patel Hospital, Bikaner	Chairman	l (a)
2.	Labour Welfare Officer, Bikaner	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 1, Bikaner	Member	1 (c)
4.	Sh. Kanhaiya Lal Bothra, President Bikaner Jila Udhyog Sangh, Bikaner	Employers' Representative	1 (d)
5. *	Sh. Jagdish Chaudhary, Secretary, Bikaner Jila Udhyog Sangh, Bikaner	Employers' Representative	1 (d)
б.	Sh. Gori Shankar Vyas, 91/EWS, Murali Dhar Vyas Colony, Bikaner	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Shiv Kishan Ji Joshi, Lali Bai ki Bagichi ke Samne, Natthu Sar Gate ke Bahar, Bikaner	Employees' Representative	l (e)
8.	Sh. Rainesh Vyas, Power House Majdoor Union, M.M. High School ke Paas, Bikaner	Employees' Representative	1 (e)
9.	Com. Abdul Rehaman, Pashu Aahar Sanyantra, Rampura Lalgarh Station ke Samne, Bikaner	Employees' Representative	l (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Bikaner	Member Secretary	1 (f)
SHILWARA :-			
1.	Superintendent, ESI Hospital, Bhilwara	Chairman	1 (a)
2.	Labour Welfare Officer, Bhilwara	Member	l (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 2, Bhilwara	Member	1 (c)
4.	Sh. M.P. Purohit, Mewar Chamber Bhawan, Nagauri Garden, Bhilwara	Employers' Representative	1 (d)

5.	Sh. R.S. Sodhani, Punjabi Gali, Bhopalganj, Bhilwara	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Prabhat Chaudhary, 11/97, Bhopalganj, Civil Lines, Bhilwara	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Heeralal Ojha C/o. Rajasthan State Road Transport Corporation, Bus-Stand, Bhilwara	Employees' Representative	1 (e)
8.	Sh. Chhotu Singh Purawat, Mahamantri, INTUC Union C/o. V.S.A. Ltd. Mandapam, Bhilwara	Employees' Representative	1 (e)
9.	Com. Nand Lal Verma, Bank of Rajasthan ke Samne, Bhopalganj, Bhilwara	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Bhilwara	Member Secretary	1 (f)
GULABPURA :-			
1.	Superintendent, ESI Hospital, Bhilwara	Chairman	1 (a)
2.	Deputy Labour Commissioner, Chittorgarh	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Gulabpura	Member	1 (c)
4.	Sh. J.S. Laddha, Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd. Kharigram (Hurda), Ajmer Road-311021, Gulabpura (Bhilwara)	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. B.S. Sancheti Super Smikotrex India, Post Box No. 3, Khari ka Lamba, Gulabpura	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Satyanarayan Sharma, PO. Gulabpura District Bhilwara	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Guman Singh Shekhawat C/o. Rajasthan Co-operative Spinning Mills Ltd., Gulabpura, Bhilwara	Employees' Representative	1 (e)
8.	Sh. Mahendra Joshi, Rashtriya Mill Majdoor Sangh C/o. Rajasthan Spinning & Weaving Mills, Kharigram, Gulabpura	Employees' Representative	1 (e)
9	Com. Om Prakash Village & PO. Sahada via Gangapur (Bhilwara)	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Gulabpura	Member Secretary	1 (f)

1

, т. Д

BANSW	ARA :-			
	1.	Medical Officer Incharge, General Hospital, Banswara	Chairman	1 (a)
	2.	Assistant Labour Commissioner, Banswara	Member	1 (b)
	3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Banswara	Member	1 (c)
	4.	Sh. J.C. Laddha, Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd., Village Mandi, R.S. Dhapi, District Banswara	Employers' Representative	1 (d)
	5.	Sh. S.S. Sajjal, Banswara Textiles Mills Ltd., Dohad Road, Industrial Area, Banswara	Employers' Representative	1 (d)
	6.	Sh. Pushpendra Chobisa C/o. Rukmani Sadan, College Road, 200, Commercial Area, Banswara	Employees' Representative	l (e)
	7.	Sh. Rajneesh Gupta, C/o. Rukmani Sadan, College Road, 200, Commercial Area, Banswara	Employees' Representative	1 (e)
	8.	Sh. Ashok Arora, Mahamantri, Rajasthan Kamgar Sangh (INTUC), Banswara	Employees' Representative	1 (e)
	9.	Com. Hameed Khan Joya C/o. Rajasthan Roadways Depot, Banswara	Employees' Representative	1 (e)
	10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Banswara	Member Secretary	1 (f)
ALWAR	l ;- 1.	Chief Medical & Health Officer, Alwar	Chairman	l (a)
	2.	Labour Welfare Officer, Alwar	Member	1 (b)
	3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 1, Alwar	Member	1 (c)
	4.	Sh. R.K. Sharma, Deputy Manager (Personnel), M/s. Ashok Leylend Ltd., MIA, Alwar	Employers' Representative	1 (d)
	5.	Sh. R.K. Kajala, Personnel Manager, Havells India Ltd., MIA, Alwar	Employers' Representative	l (d)
	6.	Sh. Jagdish Rawat, 90, Eicher Ltd., Matsya Industrial Area, Alwar	Employees' Representative	1 (e)

Part III—Sec. 4]	THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14, 2008 (JYAISTHA 24, 1930)	3
7.	Sh. R. Dayal C/o. Telephone Exchange, Employees' 1 Alwar Representative	(e)
8.	Sh. Bharat Singh Vidhyut Karmchari Employees' 1 Sangh, Company Bagh ke Paas, Alwar Representative	(e)
9.	Com. Tejpal Saini C/o. Rajasthan Employees' 1 Roadways Depot, Alwar Representative	(e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Member 1 Employees' State Insurance Corporation, Secretary Alwar	(f)
HANUMANGARH :-		
1.	Chief Medical Officer, Hanumangarh Chairman 1 (a)
2.	Labour Welfare Officer, Hanumangarh Member 1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Member 1 (c Dispensary, Hanumangarh)
4.	Sh. M.D. Detha, General Manager, Spin Employers' 1 (d Fed Spinning Mills Industrial Area Post Representative Box No. 30, Hanumangarh)
5.	Sh. Kabul Zainth, Jain M/s. S.M. Employers' 1 (d Balochan Pvt. Ltd., C-34, Industrial Representative Area, Hanumangarh)
6.	Sh. Krishan Tayal, 2/133-134, Housing Employees' 1 (e Board, Hanumangarh Representative)
. 7.	Sh. Bhupendra Kumar Rastogi, 161, Employees' 1 (e Sector-6, Sitapura, Hanumangarh Representative)
8.	Com. Ram Kumar, Ward No. 4, Purani Employees' 1 (e Khurja, Kacchi Basti, Hanumangarh Jn. Representative)
9.	Com. Om Sagwan C/o. Rajasthan Employees' 1 (e Roadways Depot, Hanumangarh Jn. Representative)
10.	Branch Manager, Branch Office, Member 1 (f Employees' State Insurance Corporation, Secretary Hanumangarh)
SUKHER :-	Tununangum	
	perintendent, General Hospital, Udaipur Chairman	1 (a)
2. As	sstt. Labour Welfare Commissioner, Udaipur Member	l (b)
3. Ma	edical Officer Incharge, ESI Dispensary, Sukher Member	1 (c)
	a. S.K. Agrawal, Director Suner Marbles & Employers' ranite Pvt. Ltd., Udhyog Vihar, Sukher Representative	1 (d)

3726	THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14, 2008 (JYAISTHA	24, 1930)	[Part IIISec. 4
5.	Sh. B.M. Lodha, M/s. Vineet Udhyog Ltd., Post Box No. 12, Udhyog Vihar, Sukher	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Chandra Singh Kothari C/o. Jai Motors, Fateh Memorial, Surajpole, Udaipur	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Vijay Singh Chauhan, 12, Mansoon Colony, Sisarama, GSS ke Paas, Udaipur	Employees' Representative	1 (e)
8.	Sh. Jagdish Raj Shrimali, Shanti Niketan Colony, Link Road, Badgaon, Teh. Girwa, Udaipur	Employees' Representative	1 (e)
9.	Com. Mahesh Sharma, Ashok Nagar, Udaipur	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Udaipur	Member Secretary	1 (f)
ABU ROAD :- 1.	Chief Medical & Health Officer, Sirohi	Chairman	l (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Sirohi	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Abu Road	Member	1 (c)
4.	Sh. S.K. Badlani, M/s. Raj. Polymers & Rolling Mills, 138/143, Ambani Industrial Area, Abu Road, Sirohi	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. K. Chandrashekhar, M/s. Rishabh Yarns Ltd., E-38, 39, Ambani Industrial Area, Abu Road, Sirohi	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. R.K. Joshi, 1/423, Housing Board, Sirohi	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Dinesh Purohit, Walleam India Ltd. Sirohi Road, Abu Road, District Sirohi	Employees' Representative	1 (e)
8.	Sh. Jagamal Singh Mali, Laxmi Cement, Majdoor Union (INTUC), J.K. Puram, Sirohi	Employees' Representative	1 (e)
9.	Com. Rakesh Sharma, Plot No. 18, Ganesh Colony, Abu Road, Sirohi	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Abu Road	Member Secretary	1 (f)

ر :

BASNI :-			
1.	Superintendent, ESI Hospital, Jodhpur	Chairman	1 (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Jodhpur	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Basni	Member	1 (c)
4.	Sh. Satish Chaudhary, M/s. Ekline Plastic, E-27, MIA-II Phase. Basni, Jodhpur	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. Yogendra Daga, G-1, 83 New Power House ke Peeche, Industrial Area, Jodhpur	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Chhotu Singh, Tanki ke Paas, Kheme ka Kuan, Paul Road, Jodhpur	Employees' Representative	1 (e)
7.	Com. A.W. Ansari C/o. Vijay Mehta Advocate, Sojti Gate ke Bahar, Jodhpur	Employees' Representative	1 (e)
8.	Com. Sarafat Ali C/o. Vijay Mehta Advocate, Sojti Gate ke Bahar, Jodhpur	Employees' Representative	1 (e)
9.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Jodhpur	Member Secretary	1 (f)
BALOTRA :- 1.	Superintendent, General Hospital, Balotra	Chairman	l (a)
2.	Labour Welfare Officer, Balotra	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Balotra	Member	1 (c)
4.	Sh. Gautam Chopra, President M/s. Nakoda Processing House, F-89, Phase-3, Industrial Area, Balotra		1 (d)
5.	Sh. Ramswaroop Garg, Secretary M/s. Raj. Industries, F-82, Phase-I, Industrial Area, Balotra	- +	1 (d)
6.	Sh. Sohan Singh Jaitmal, BMS, PO Balotra, District Barmer	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Ishwar Chand Dave C/o. Office of the Superintendent Engineer, Jodhpur Vidhyut Vitran Nigam Ltd., Barmer	Employees' Representative	1 (e)
8.	Com. Chhagan Dan Detha, Doosre Railway Crossing ke Paas, Hanumant Bhawan ke Samne, Balotra	Employees' Representative	1 (e)

28	THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14, 2008 (JYAISTHA 2	4, 1930)	PART III—SEC. 4
9.	Com. Hanuman S/o. Sh. Chhagan Dan Detha, Doosre Railway Crossing ke Paas, Hanumant Bhawan ke Samne, Balotra	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Jodhpur	Member Secretary	1 (f)
RiNGAS :- 1.	Superintendent, General Hospital, Ringas	Chairman	1 (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Sikar	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Ringas	Member	1 (c)
4.	Sh. S.P. Agrawal, Executive President, M/s. J.P.L., Ringas District Sikar	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. S.K. Jain, General Manager (Personnel & Administration), Jaipur Plyspin Ltd. Dist-Sikar	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Murari Lal Sharma, Railway Phatak ke Paas, Ringas District Sikar	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Manohar Lal Sharma, House No. 964/10, Sunder Path, Devipura, Sikar	Employees' Representative	1 (e)
8.	Sh. Chaturthi Lal Nitharwal, Mahamantri Rashtriya Mill Majdoor Sangh, C/o. Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd., Ringas	Employees' Representative	l (e)
9.	Com. Nanuram C/o. Com. Suraj Bhan Advocate, Dayanand Marg, Ramchandrapura, Sikar	Employees' Representative	1 (e)
KOTA :-			1 / \
1.	Superintendent, ESI Hospital, Kota	Chairman	1 (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Kota	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary No. 4, Kota	Member	1 (c)
4.	Sh. Shanti Bhandari, Electro Chemicals, Industrial Estate, Kota	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. Rajkumar Khoobchandai, Indana Rubber Industries, Chambal Industrial Area, Kota	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Avadhesh Mishra, G-24, Vidhyut Mandal Colony, Sakatpura, Kota	Employees' Representative	1 (e)

۰.

PART III—SEC. 4]	THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14, 2008 (JYAISTHA	24, 1930)	
7.	Sh. Surendra Singh Shekhawat, BMS Office, Ladpura, Kota	Employees' Representative	1 (e)
8.	Sh. Shaqeel Ahemad, SFC Kamgaar Sangh (INTUC), Shri Ram Nagar, Kota	Employees' Representative	1 (e)
9:	Com. Mangi Lal, D-73, Chhawani, Ramchandrapura, Kota-7	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Udhyog Nagar, Kota	Member Secretary	l (f)
CHITTORGARH	۲		
1.	Chief Medical & Health Officer, Chittorgarh	Chairman	1 (a)
2.	Deputy Labour Commissioner, Chittorgarh	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Chittorgarh	Member	l (c)
4.	Sh. R.C. Meena, Personnel Officer, Hindustan Zinc Ltd., Chanderia, Chittorgarh	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. K.K. Tiwari, Senior Personnel Manager (Personnel), Birla Cement Works, Chanderia, Chittorgarh	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Mahendra Rawat, D-19, Adarsh Nagar, Chittorgarh	Employees' Representative	1 (e)
7.	Sh. Dharmendra Jharoli C/o. Aditya Mills, Adilpuram, PO Sawa, Shambhupura, Jila Chittorgarh	Employees' Representative	l (e)
8.	Sh. Bhanwar Lal Aheer, President Cement Factory Majdoor Sangh, Birla Cement Labour Colony, Chittorgarh	• •	l (e)
9.	Sh. K.V. Sharma, Qtr. No. T-2/177, E.S.L. Colony, Rawatbhata, Chittorgarh	Employees' Representative	1 (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Chittorgarh	Member Secretary	1 (f)

3HAWANIMANDI :-	Denote Maliael & Harlth Office	Chatan	1 (-)
1.	Deputy Medical & Health Officer, Bhawanimandi	Chairman	1 (a)
2.	Assistant Labour Commissioner, Kota	Member	1 (b)
3.	Medical Officer Incharge, ESI Dispensary, Bhawanimandi	Member	1 (c)
4.	Sh. Shanti Mal Jain, Vice President Rajasthan Textiles Mills Ltd., Pachpahad Road, Bhawanimandi	Employers' Representative	1 (d)
5.	Sh. N.M. Gupta, M/s. Satlaj Industries Ltd., Pachpahad Road, Bhawanimandi	Employers' Representative	1 (d)
6.	Sh. Babu Lal Rajawat, Rajawat Bhawan, Shriram Nagar, Kota	Employees' Representative	I (e)
7.	Sh. Devi Lal Sharma, Raigar Mohalla, Bhawanimandi, Jhalawar	Employees' Representative	1 (e)
8.	Com. Karan Singh C/o. New Rajasthan Textile Mill, Bhawanimandi	Employees' Representative	1 (e)
9.	Sh. Ghasi Lal Textile Mill ke Samne, Patri ke Paas, Bhawanimandi, Jhalawar	Employees' Representative	l (e)
10.	Branch Manager, Branch Office, Employees' State Insurance Corporation, Bhawanimandi	Member Secretary	1 (f)
		L. K. PAT Regiona	TANAIK 1 Director

DELHI PUBLIC LIBRARY (Estt. Section)

The 16th January 2008

No. L11011/01/2006-Estt./1557.— (i) The following officers have been promoted:

Name of Officer	Date of promotion	Posts	Group
Smt. Sudha Mukherjec	03.9.2007	Lib. & Inf. Officer (LIO)	A
Sh. Basavaraj S. 1alikoti	25.7.2007	Asstt. Lib. & Inf. Officer	В
Smt. Jasmohan Kaur	03.9.2007	Asstt Lib. & Inf. Officer	В

The following officers have been retired on their superannuation: (ii)

Name of Officer	Retired on	Posts	Group
Dr. Balbir Singh	31.8.2007(ÅN)	Lib. & Inf. Officer (LIO)	A
Smt. Urmil Sharma	30.6.2007(AN)	Asstt. Lib. & Inf. Officer	В
(Dr.) BANWARI LAL			

Director

FORWARD MARKETS COMMISSION

Mumbai, the 11th March 2008

No. 1/1/2007-SCOOA/Recog.—

S.O......The Forward Markets Commission, Mumbai, having considered the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Surendranagar Cotton Oil & Oilseeds Association Ltd., Surendranagar, Gujarat and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of two years from 1st April, 2008 to 31st March, 2010 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Kapas, Cotton and Cotton seed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

> M. MATHISEKARAN Economic Adviser

मुद्रित फरीदाबाद प्रबंधक. भारत सरकार मुद्रणालय, द्वारा नियंत्रक. दिल्ली. द्वारा 2008 ਹਰੰ प्रकाशन प्रकाशित PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI, 2008